"माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन"

BUNDELKHAND UNIVERSITY JHANSI

ESTB. AUGUST 26, 1975

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की मास्टर ऑफ एजूकेशन
(एम०एड०)
की
आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध-प्रबन्ध

सत्र - 2012-13

निर्देशक

डॉ. अमरनाथ दत्त गिरि
(विभागाध्यक्ष) शिक्षा संकाय
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अतर्रा, बांदा

शोधकर्ता

निसार अहमद
एम०एड० (छात्र)

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अतर्रा, बांदा (उ.प्र.)

''माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन''

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की मास्टर ऑफ एजूकेशन
(एम०एड०)
की
आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध-प्रबन्ध

सत्र - 2012-13

निर्देशक
डॉ. अमरनाथ दत्त गिरि
(विभागाध्यक्ष) शिक्षा संकाय
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अतर्रा, बांदा

शोधकर्ता
निसार अहमद
एम0एड0 (छात्र)

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अतर्रा, बांदा (उ.प्र.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **निसार अहमद** एम0एड0 छात्र (अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अतर्रा) **बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी** के सत्र 2012-13 के एम0एड0 उपाधि के लिए मेरे निर्देशन में लघु शोध-कार्य पूर्ण किया है। प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध का शीर्षक **"माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन"** है।

प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध इनका मौलिक कार्य है। इन्होंने यह कार्य बहुत ही लगन एवं परिश्रम के साथ पूर्ण किया है और इसके पूर्व यह शोध प्रबन्ध अन्यत्र कही प्रस्तुत नही किया है।

मैं इस शोध कार्य को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की एम0एड0 परीक्षा की आंशिक पूर्ति हेतु संप्रेषित करने के लिए अनुमोदन करता हूँ।

दि० 15.04.13

निर्देशक

डा0 अमरनाथ दत्त गिरि
विभागाध्यक्ष
शिक्षा संकाय
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा
बांदा, (उ0प्र0)

घोषणा-पत्र

मैं, निसार अहमद एम0एड0 शोध छात्र (अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अतर्रा बांदा) घोषणा करता हूँ कि मैने डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय (अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अतर्रा बांदा) के कुशल मार्ग निर्देशन में शोध कार्य सम्पन्न किया है। प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध **"माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन"** है। जो एम0एड0 की आशिंक पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया है। जो मेरी मौलिक रचना है। यह लघु शोध प्रबन्ध इस परीक्षा के अतिरिक्त अन्यत्र मैने कही प्रस्तुत नही किया है। इस लघु शोध को पूर्ण करनें में जिन पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा शोध प्रबन्धों का सहयोग लिया गया है उनका, उल्लेख सन्दर्भ ग्रंथ सूची में किया गया है।

शोधकर्ता

दिनांक - 15.04-2013

निसार अहमद

निसार अहमद

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज,

अतर्रा बांदा, (उ0प्र0)

आभार-पत्र

शिक्षा के क्षेत्र में अपने इस लघुशोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में जिन मनीषियों, शिक्षाविदों, छात्र/छात्राओं, ग्रन्थकारों, पुस्तकालयाध्यक्ष, एवं मित्रों का सहयोग प्राप्त हुआ है, शोधकर्ता उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता है।

इस शोधकार्य के सम्बन्ध में सर्वप्रथम मै अपने निर्देशक– डॉ0 अमरनाथदत्त गिरि विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग, अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज अतर्रा, बांदा का हृदयाभारी हूँ, जिनके स्नेहमयी संरक्षण एवं कुशल मार्गदर्शन में रहकर मुझे अपना यह शोधकार्य प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

मैं अब अपने महाविद्यालय अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज अतर्रा, बांदा के प्राचार्य डॉ0 वीरेन्द्र सिंह भदौरिया जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनके आशीर्वाद एवं प्रोत्साहन से मै शिक्षा के इस क्षेत्र में यह लघु शोध प्रबन्ध लिखने में सफल हो सका। शोधकर्ता महाविद्यालय के अन्य गुरूजन श्री डॉ0 पी0एस0 सेगर प्रवक्ता शिक्षा विभाग, डॉ0 ए0एम0 सिंह प्रवक्ता शिक्षा विभाग, डॉ0 राजीव अग्रवाल प्रवक्ता–शिक्षा विभाग, डॉ0 सुशील कुमार प्रवक्ता शिक्षा विभाग के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ और अपने विभाग के पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अध्ययन के लिए समय–समय पर पुस्तकें उपलब्ध करायी हैं।

शोधकर्ता अपने माता–पिता का विशेषकर आभारी है जिन्होंने तन, मन धन से इस शोधकार्य को पूर्ण कराने में सहयोग किया।

शोधकर्ता उन समस्त विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं तथा छात्र–छात्राओं के प्रति आभारी है जिन्होंने प्रपत्र भरवानें तथा भरने में अत्यन्त उत्साह के साथ अपना अमूल्य समय दिया।

मैं एस0बी0 सिंह टाईपिस्ट, इलाहाबाद का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कुशल टंकण से मेरे इस शोध कार्य को करनें में सहयोग किया।

शोधकर्ता

निसार अहमद

एम0एड0 (छात्र)

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज,

अतर्रा बांदा, (उ0प्र0)

अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

1.0 भूमिका

1.1 शोध समस्या का उद्भव

1.2 शोध अध्ययन की आवश्यकता

1.3 शोध समस्या का कथन

1.4 शोध अध्ययन में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या

1.5 शोध अध्ययन का उद्देश्य

1.6 शोध अध्ययन का महत्व

1.7 शोध अध्ययन का परिसीमन

1.8 शोध अध्यन की परिकल्पना

1.0 भूमिका :-

मानव सभ्यता एक लम्बी विकास यात्रा का परिणाम है। इसको सजाने-संवारने में विभिन्न कारणों का अमूल्य योगदान रहा है। उन्हीं कारकों में से सबसे प्रमुख कारक रहा है- 'शिक्षा'। शिक्षा मानव सभ्यता के विकास का मूलाधार, सबसे सशक्त आधार स्तम्भ है। शिक्षा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया है, जो मानव व मानव समाज दोनों के लिए अपरिहार्य है। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान होता है और पशुवत मानव से एक अच्छे समाज का निर्माण संभव नहीं। प्रत्येक मानव कुछ विशिष्ट शक्तियों के साथ जन्म लेता है। उसकी इन्हीं जन्मजात शक्तियों का विकास और परिमार्जन परिष्कार करती है। शिक्षा यह उसके ज्ञान व कला कौशल में वृद्धि करती है और उसके आचरण-व्यवहार में परिवर्तन-परिष्कार करती है। यही उसे एक देश का सुसभ्य सुसंस्कृत सुयोग्य नागरिक, एक समाज का उपयोगी जिम्मेदार सदस्य बनाती है। सीखने-सिखाने की यह सप्रयोजन-चैतन्य गत्यात्मक सामाजिक प्रक्रिया समाज में अनवरत रूप से चलती रहती है। इसी के आधार पर कोई समाज नित नए आयाम स्थापित करता है और अपनी सभ्यता संस्कृति का विकास संरक्षण परिष्कार-हस्तांतरण करता है। आज की चकाचौंध भरी सभ्य दुनिया के पीछे एकमात्र तत्व निहित है,वह शिक्षा ही है। इसी शिक्षा के बल पर मानव ने महासागर की अथाह गहराई को नाप लिया है, धरती का सीना चीरकर विविध खनिज संसाधनों का दोहन कर रहा है और अनंत अथाह अंतरिक्ष में गोते लगाकर अपने ज्ञान भण्डार में दिनोदिन वृद्धि करता जा रहा है। स्पष्ट है शिक्षा मानव सभ्यता के विकास का मेरूदण्ड (Back-bone) है। यह मेरूदण्ड परिवार समाज, विद्यालय राज्य, धर्म जैसे अभिकरणों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है।

धरती पर मानव के उदय के साथ ही शिक्षा का इतिहास शुरू होता है। जब आदि मानव अपनी शारीरिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति और अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना शुरू करता है, तो एक तरह से उसकी शिक्षा-प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। उस समय यह प्रक्रिया काफी सरल रहती है। परन्तु कालांतर में मानव अनुभवों में वृद्धि और समूह समाज की उत्पत्ति के साथ यह प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में विशेष व्यक्तियों द्वारा विशेष स्थानों पर शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। इस आवश्यकता की प्राप्ति शिक्षक-शिक्षालय के विकास के रूप में होती है। परन्तु ब्रिटिश सरकार अपने को केवल उच्च शिक्षा तक सीमित रखा और यह उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी पद्धति की शिक्षा थी, जिसका भारतीय सभ्यता-संस्कृति से कोई संबंध नहीं था और यह भारतीय समाज की आवश्यकताओं अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने में पूर्णतः असमर्थ थी। 'छनाई सिद्धांत' (Filtration Theary) में विश्वास करते हुए प्रारम्भिक शिक्षा को पूर्णतः उपेक्षित छोड़ दिया गया। इस अवधि में भी परम्परागत भारतीय शिक्षा व्यवस्था सरकारी सहायता से वंचित रही और उसकी व्यवस्था निजी प्रयासों से की जाती रही। 1947 में भारत आजाद हुआ और उसने अपनी शिक्षा व्यवस्था को पुनः रचित किया है। परन्तु अफसोस इस बात का है कि आजाद भारत की शिक्षा-व्यवस्था का मूल आधार भी ब्रिटिश कालीन शिक्षा ही थी। इसमें भी भारतीय सभ्यता संस्कृति के मूलाधारों समाजसेवी व्यक्तियों व निजी संस्थाओं की मदद लेता रहा और इसके लिए उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया है। इसका कारण पूर्णतः स्पष्ट है इतनी बड़ी आबादी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना केवल सरकार के वश की बात नहीं। इसलिए

वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा की निजीकरण का अपरिहार्य आवश्कयता है।

भारत में शिक्षा के निजीकरण (Privatisation of Education) से शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है। स्ववित्त पोषित शिक्षण संस्थाएं शिक्षा की व्यवस्था करने में सरकार का सहयोग कर रही हैं, सरकारी अर्धसरकारी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश दबाव को कम कर रही हैं और इच्छुक छात्र-छात्राअें को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। अपनी उत्तमकोटि की अधिसंरचना (Intra - Structrue) के कारण थे संस्थाएं अभिभावकों-विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और काम के बदले दाम के सिद्धान्त के तहत संचालित इन संस्थाओं इन संस्थाओं के शिक्षक परिश्रम से पढ़ाते हैं, जिसमें इनका परीक्षाफल भी उत्तम रहता है। परिणामस्वरूप भारत में साक्षरता दर (2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 प्रतिशत) बढ़ी है और सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव प्रतीत होने लगा है। परन्तु शिक्षा के 'निजी कारण' का यह तो प्रकाश पक्ष है। इसका एक अंधकार पक्ष भी है। 'निजीकरण' का मूलमंत्र होता है- 'प्रतिस्पर्धा' अैर उसका मुख्य उद्देश्य होता है- 'मुनाफा'। स्ववित्त पोषित शिक्षा-संस्थाओं का पूरा ध्यान मुनाफा कमाने पर रहता है और मुख्य लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना नेपथ्य में चला जाता है।

ऐसी शिक्षा संस्थाएं 'कैपिटेनशन फीस' (प्रत्येक विद्यार्थी से एक निर्धारित मात्रा में अनुदान) वसूल करती है और इनका वार्षिक शुल्क बहुत अधिक होता है। फलत: इनमें शिक्षा प्राप्त करना काफी महंगा सौदा हो जाता है और आर्थिक दृष्टि से कमजोर माध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए लगभग असंभव हो जाता है। (इन संस्थाओं में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना) कुछ स्ववित्त

पोषित शिक्षण संस्थाएं तो बिना आवश्यक शर्तों को पूरा किए ही 'भेंट पूजा' (रिश्वत) के आधार पर मान्यता प्राप्त कर लेती हैं और इनसे निकलने वाले जिंदा उत्पादों की गुणवत्ता कैसी होगी- इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी ये शिक्षण संथाएं भ्रष्टाचार शिक्षित बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही हैं। अधकचरी अव्यावहारिक, अनैतिक असमाजिक शिक्षा प्रदान करने की साधन इन निजी शिक्षण संस्थाओं ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की 'रीढ़ की हड्डी (Back-bone) माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था (Secondary Education) को तोड़कर रख दिया है और काहिल-जाहिल साक्षरों को उत्पन्न कर शिक्षित बेरोजगारी में 'दिन दूरी रात चौगुनी वृद्धि कर रही हैं। इससे देश आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूप से खोखला होता जा रहा है।

1.1 शोध समस्या का उद्भव :-

मानव एक सामाजिक (Social animal) है। अपने व्यवहार क्रियाकलापों से वह समाज को प्रभावित करता रहता है और सामाजिक गतिविधियों से स्वयं भी प्रभावित होता रहता है। प्रस्तुत अध्ययन का शोधकर्ता भी इसका अपवाद नहीं, भारत में शिक्षा के निजीकरण' से उत्पन्न प्रभावों (कुप्रभावों-सुप्रभावों) को वह काफी पास से देखता-समझता महसूस करता है। इससे सम्बद्ध समाचार सूचना आए दिन अखबार व पत्र-पत्रिकाओं से मिलते रहते हैं। शोधकर्ता अपने गृह जनपद फैजाबाद में शिक्षा के निजीकरण का व्यापक प्रभाव देख रहा है। यहां सामान्य शिक्षा तो आम लोगों की पहुंच में अवश्य आ गई है और काफी संख्या में लड़के-लड़कियां स्कूल जा रहे हैं, परन्तु जहां तक शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न है, उसमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है। स्वार्थी, भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा संचालित इन निजी संस्थाओं में अधिकतर शिक्षक अप्रशिक्षित हैं

और विद्यार्थियों के अधकचरी-अधूरी शिक्षा प्रदान कर एक अच्छे समाज की स्थापना के स्वप्न को धूमिल कर रहे हैं। 'माध्यमिक स्तर (Secondary Level) तक आते-आते ये शिक्षा संस्थाएं विद्यार्थियों को दीमक की तरह चाट जाती हैं। इनसे निकलने वाले विद्यार्थी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं और तत्पश्चात व्यावहारिक जीवन में पूर्णत: असफल हो जाते हैं। ऐसे असफल विद्यार्थी अनैतिक मार्ग का चयन कर अपना समाज और देश का विकास अवरूद्ध करते जा रहे हैं। इसीलिए शोधकर्ता ने इस समस्या -"माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव" का चयन किया है।

1.2 शोध अध्ययन की आवश्यकता :-

भारत में सामान्य शिक्षा 'त्रिस्तरीय संरचना' (Tri - level structure) प्रचलित है। इसके तीन स्तर हैं- प्रारम्भिक (कक्षा 1 से कक्षा 8 तक), माध्यमिक (कक्षा 9 से कक्षा 12 तक) और उच्च (कक्षा 12 के बाद की शिक्षा)। इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है- माध्यमिक स्तर की शिक्षा (Secondary Level of Education), यह स्तर भारतीय शिक्षा-व्यवस्था की 'रीढ़ की हड्डी' (Back- bone) है। इसकी यह स्थिति (Position) इन तीन कारणों से है-

1- माध्यमिक शिक्षा का सम्बंध बालक के किशोरावस्था (13-19 वर्ष) से है और यह भावी युवा-शक्ति व युवा-नेतृत्व के प्रशिक्षण का प्रथम केन्द्र है। इसलिए यह किसी भी राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक-तकनीकी सांस्कृतिक क्षमता को सर्वाधिक प्रभावित करती है।

2- बहुत से विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा के बाद ही व्यावहारिक (गृहस्थ) जीवन में प्रवेश करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह शिक्षा उनके लिए रोजगार-जीवनयापन के प्रवेश-द्वार खोलती है। इसके अलावा, किसी भी राष्ट्र की मानव शक्ति का एक बड़ा भाग इसी स्तर की शिक्षा से प्राप्त होता है।

3- माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रारम्भिक, उच्च शिक्षा स्तरों की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। प्रारम्भिक स्कूलों के अधिकतर शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से ही प्राप्त होते हैं और उन्हें प्राप्त शिक्षा की गुणवत्ता काफी हद तक प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसके अलावा, महाविद्यालय-विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा केन्द्रों के लिए विद्यार्थियों की आपूर्ति भी माध्यमिक शिक्षा ही करती है। वस्तुतः माध्यमिक शिक्षा इनके लिए एक आधार का कार्य करती है।

स्पष्ट है, माध्यमिक शिक्षा सही मायने में किसी राष्ट्र की शिक्षा-व्यवस्था की रीढ़-हड्डी होती है। यह उसकी सम्पूर्ण शिक्षा-व्यवस्था को उसी प्रकार संभाले रहती है, जैसे मानव-शरीर को रीढ-हड्डी संभाले रहती है। यदि किसी राष्ट्र' की माध्यमिक शिक्षा गुणवत्ता में श्रेष्ठ होती है, तो उसकी प्रारम्भिक-उच्च-तकनीकी-व्यावसायिक शिक्षा भी गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ होती है। परन्तु जिस राष्ट्र की माध्यमिक शिक्षा गुणात्मक दृष्टि से कमजोर होती है, उसकी सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाती है। अतः भारत की माध्यमिक शिक्षा का सम्पूर्ण शिक्षा क्रम की एक मजबूत कड़ी होना अति आवश्यक है। इसी कारण इस क्षेत्र में गहन शोध-अध्ययन की अति आवश्यकता है। इसी

आवश्यकता को महसूस करते हुए शोधकर्ता ने अपना लघु-शोध-प्रबंध इसी क्षेत्र में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।

1.3 शोध-समस्या का कथन :-

" माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन।" प्रस्तुत शोध-समस्या को शोधकर्ता द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया-

1.4 शोध अध्ययन में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या :-

1. शिक्षा (Education)- शिक्षा वह सोद्देश्य सामाजिक-गत्यात्मक-विकासात्मक- त्रिध्रुवीय-सतत् प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालक की जन्मजात् शक्तियों का विकास किया जाता है।, उसके ज्ञान-कला कौशल में वृद्धि की जाती है, उसके आचार-विचार-व्यवहार में परिवर्तन-परिमार्जन- किया जाता है और ऐसा कर उसे अपने देश-समाज का एक सभ्य-सुसंस्कृत-योग्य-उपयोगी नागरिक सदस्य बनाया जाता है। वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति व समाज दोनों का विकास करना है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के साथ अपना समायोजन स्थापित करता है। इसी समयोजन पर उसका व उसके समाज दोनों के विकास का भविष्य निर्भर करता है। अतः शिक्षा व्यक्ति व समाज दोनों के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता है और एक सुरक्षित आर्थिक निवेश भी।

2. शिक्षा की संरचना (Structure of Education)- भारत में शिक्षा की संरचना 'त्रिस्तरीय' है। ये तीन प्रकार (Levle) की है-

1- प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary Education) - कक्षा 1 से कक्षा 8 तक

2- माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) - कक्षा 9 से 12 तक

3- उच्च शिक्षा (Higher Education) - कक्षा 12 के बाद की शिक्षा।

3. माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) -

किसी भी राष्ट्र की शैक्षिक संरचना की मध्यस्थ कड़ी होती है- 'माध्यमिक शिक्षा'। माध्यमिक शिक्षा के नीचे प्रारम्भिक शिक्षा और ऊपर विश्वविद्यालयी शिक्षा होती है। इसमें 14 से 18 वय-वर्ग के बालक-बालिकाएँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। कार्टर वी0गुड महोदय के अनुसार-

" माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा का वह समय है, जो सामान्यत: 12 वर्ष से 17 वय-वर्ग के बालकों के लिए होता है। इस काल में अध्ययन के प्रमुख उपकरणों का प्रयोग कर स्वामित्व-अभिव्यक्ति-वैचारिक स्वतंत्रता व विविध जानकारी प्राप्त करने ओर बौद्धिक कुशलता-अभिरूचि-आदर्शो आदतों के निर्माण पर बल दिया जाता है।"

भारत में माध्यमिक शिक्षा का काल 14 से 18 वर्ष की आयु तक माना गया है। 'शिक्षा आयोग' (1964-66) ने इसे दो भागों में विभाजित किया है-

1. निम्न माध्यमिक शिक्षा (Lower Secondary Education)-कक्षा 9 से कक्षा 10 तक

2. उच्च माध्यमिक शिक्षा (Higher Secondary Education)-कक्षा 11 से कक्षा 12 तक

भारतीय संविधान में शिक्षा को 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) में रखा गया है। अतः भारत में शिक्षा की व्यवस्था-प्रबंध करना केन्द्र सरकार व अन्य सरकारों दोनों को उत्तरदायित्व है। माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है। वैसे तो सम्पूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष-पूर्ण नियंत्रण में है; फिर भी, केन्द्र सरकार इस सम्बंध में उन्हें आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन-नेतृत्व प्रदान करती रहती है। विभिन्न सरकारों-संगठनों-निकायों द्वारा संचालित होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का आस्तित्व है। इन विद्यालयों की एक विस्तृत रूप रेखा इस प्रकार है-

1. सी0बी0एस0ई0 द्वारा संचालित माध्यमिक स्कूल।
2. आई0सी0एस0ई0 द्वारा संचालित माध्यमिक स्कूल।
3. प्रदेश स्तरपर गठित बोर्ड यथा यू0पी0 बोर्ड एम0पी0 बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड आदि।

उपर्युक्त रेखाचित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में माध्यमिक विद्यालयों का नियंत्रण-प्रबंध विविध संगठनों-सरकारों द्वारा किया जाता है। इसमें यहाँ की माध्यमिक शिक्षा की संरचना का पता चलता है और उसके स्वरूप की विविधता का भी।

4. **निजीकरण (Privatisation)** - 'निजीकरण' का तात्पर्य है- स्वामित्व में परिवर्तन से। किसी क्रिया उद्यम में सरकारी स्वामित्व के स्थान पर किसी व्यक्ति, कम्पनी, व्यवसायी या उद्यमी का स्वामित्व हो जाना ही निजीकरण कहलाता है। इसके माध्यम से लागत में कमी की जाती है और गुणवत्ता को

उन्नत बनाया जाता है। वस्तुतः निजीकरण का मूलमंत्र होता है- ' प्रतिस्पर्धा' और मुख्य उद्देश्य- 'मुनाफा'।

निजीकरण का इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं है। इसका इतिहास लगभग 20-25 वर्ष का है वैसे 'Privatisation' शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था- 1960 में पीटर एफ0 ड्रकर (Peter F Druckor) द्वारा अपनी कृति 'The Age of Discontinuity' में। उसके 10 वर्ष बाद श्रीमती मारग्रेट थैचर इंग्लैण्ड की प्रधानमंत्री बनती हैं और उद्योग-व्यापार के क्षेत्र में इस विचार को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है। तत्पश्चात् क्रमशः अन्य देशों में इस विचारधारा को स्वीकार कर साकार रूप प्रदान किया जाने लगा है।

निजीकरण की प्रक्रिया में 'लैजेज-फेयरी' (Lessis Faire) का सिद्धांत कार्य करता है। यह सिद्धांत आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी का विरोध करता है। और राज्य के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर आर्थिक स्वतंत्रता की वकालत करता है। इसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है- समस्त सत्ताओं से मुक्ति, जो स्वतंत्रता का नाकारात्मक स्वरूप है। यह सिद्धांत उस सरकार को सर्वोत्तम मानता है, जो सबसे कम शासन करती है।

वर्तमान सदी (21 वीं सदी) में लगभग हर क्षेत्र, हर देश में निजीकरण का बोलबाला है। भारत में यह प्रक्रिया अभी कुछ वर्ष पूर्व ही आरम्भ हुई है, पर व्यापार उद्योगों में इसने अपना पूरा जाल बिछा लिया है। यह सामान्य अवधारणा बन गई है कि निजीकरण से निष्पादन में अनिवार्यतः सुधार होता है।

5. शिक्षा का निजीकरण (Privatisation of Education)

'शिक्षा का निजीकरण' से तात्पर्य है- शिक्षा की व्यवस्था करने के दायित्व का सरकारी हाथों से निजी हाथों में हस्तान्तरण। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की शिक्षा की व्यवस्था करे। परन्तु लगभग सभी राष्ट्रों की सरकारें अपने इस परम कर्तव्य से विमुख होती जा रही है और अपने यहाँ शिक्षा का निजीकरण कर रही है। भारत भी इसका अपवाद नही।

भारतीय शिक्षा-व्यवस्था में निजीकरण ने अपने पैर पूरी तरह से पसार लिए है। देश के समस्त भागों में स्ववित्तपोषित शिक्षण संस्थाओं की भरमार होती जा रही है। इससे शिक्षा का व्यापक प्रसार-प्रचार हुआ है और शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या में गुणोत्तर वृद्धि हुई है। फिर भी शिक्षा के निजीकरण से शिक्षा के मानक स्तर में गिरावट आई है। शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आने की बातें समाज में अक्सर सुनाई देती हैं। चिंतन कर सकने वाला प्रत्येक व्यक्ति-बृद्धिजीवी इस कटु सत्य से काफी चिंतित-दु:खी है शिक्षा की गुणवत्ता उठाने के प्रति सरकार-समाज-व्यक्ति सभी उदासीन से दिखते है। बंद कमरों में इस मुद्दे पर जितनी बातें की जाती है; उसका थोड़ा भी अमल में नहीं लाया जाता। इससे भारत के विकसित देश होने का सपना धूमिल होता नजर आता है।

6 गुणवत्तापूर्ण (मानक) शिक्षा (Quality or Standard Education)-

गुणवत्तापूर्ण या मानक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है, जो शैक्षिक मानकों को पूरा करती है और छात्रों के ज्ञान-कौशल-व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाती है। यहाँ शैक्षिक मानक का सम्बंध छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से है। शिक्षा की गुणवत्ता छात्रों के व्यवहार से ही परिलक्षित होती है। अत: शैक्षिक

मानक वे गुण या योग्यताएँ है, जो शिक्षित व्यक्ति के व्यवहार से प्रदर्शित होती है। शैक्षिक मानकों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है-छात्रों का सामान्य ज्ञान व विशिष्ट ज्ञान, मौखिक-लिखित अभिव्यक्ति, सामान्य-परिस्थितिगत उपलब्धि, ज्ञान को ग्रहण-प्रदान करने की योग्यता व समाजिक नैतिक व्यवहार। अत: शैक्षिक मानक किसी उपाधि को प्राप्त करने के उपरांत छात्रों में अपेक्षित ज्ञान, अभिव्यक्ति-क्षमता, उपलब्धि-स्तर, ज्ञान ग्रहण-प्रदान करने की योग्यता ओर समाजिक-नैतिक व्यवहार के स्तर को बताते है। दूसरे अर्थो में, शैक्षिक मानक समाज व शिक्षित वर्ग द्वारा स्वीकृत वे मानदण्ड है, जो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को अशिक्षित या अल्पशिक्षित व्यक्ति से अलग करने के लिए प्रयुक्त किए जा सकते है। शैक्षिक मानक की प्रकृति गत्यात्मक होती है, इसलिए इनमें मीटर-किलोग्राम-लीटर-सेकेण्ड की अपेक्षा कम परिनिश्चितता होती है।

मीटर-किलोग्राम-लीटर-सेकेण्ड का अर्थ समस्त संसार में समान होता है। परन्तु शैक्षिक मानकों के संदर्भ में ऐसी बात नही है। देश-काल के अनुसार इनके अर्थ में परिवर्तन होता है।

विगत वर्षो में भारतीय शिक्षा के शैक्षिक मानकों में तेजी से गिरावट आई है शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षाविदों व आम नागरिकों की यही धारणा है। सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रतियोगियों द्वारा दिए गए गलत-हास्यास्पद उत्तर यही बात कहते है 'शिक्षा आयोग' (1964-66) ने भी यह स्वीकार किया है-

''वर्तमान परिस्थितियों में शैक्षिक मानकों की स्थिति संतोषप्रद स्थिति से काफी दूर है। हमारे विश्वविद्यालयों का कार्य माध्यमिक विद्यालयों के स्तर का है और माध्यमिक विद्यालयों का कार्य प्राथमिक स्तर का है स्नातक उपाधि का उद्देश्य छात्रों के लिए नवीनतम ज्ञान व अनुसंधान-कार्य का द्वारा खोलना है।

और स्नातकोत्तर उपाधि का उद्देश्य उन्हें विशेषीकृत ज्ञान गहराई से प्रदान करना है। परन्तु हमारे विश्वविद्यालयों के शैक्षिक मानक इन लक्ष्यों से बहुत नीचे हैं और विकसित देशों के स्नातक का मुकाबला हमारे यहाँ का स्नातकोत्तर भी नही कर सकता है।''

1.5 शोध-अध्ययन की परिकल्पना एवं उद्देश्य :-

शोधकर्ता अपने द्वारा चुनी गई शोध-समस्या **''माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन''**- पर कार्य कर रहा है। उसने इस शोध-अध्ययन के निम्नवत् उद्देश्य निर्धारित किया हुआ है-

1. माध्यमिक स्तर के सहायता प्राप्त विद्यालयों के संसाधनों का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के संसाधनों का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर के सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर का अध्ययन करना।
4. माध्यमिक स्तर के गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर का अध्ययन करना।
5. प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा-व्यवस्था में माध्यमिक स्तर की शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करना।
6. वर्तमान में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना।

7. शिक्षा के निजीकरण से माध्यमिक शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

1.6 शोध-अध्ययन का महत्व :-

माध्यमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की शैक्षिक संरचना की मध्यस्थ कड़ी होती है- इसके नीचे प्रारम्भिक शिक्षा और इसके ऊपर विश्वविद्यालयी शिक्षा होती है। इसकी सुदृढ़ता पर पूरी शैक्षिक संरचना की सुदृढ़ता और सम्बद्धता राष्ट्र की शक्ति व उसका भविष्य निर्भर करता है। समाज के सभी क्षेत्रों के भावी शीर्ष नेतृत्व इसी स्तर पर अपना प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करते है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए तो इस स्तर की शिक्षा का विशेष महत्व है। लोकतंत्र का भविष्य सुशिक्षित जनशक्ति पर ही निर्भर करता है और ऐसी सुशिक्षित जनशक्ति का स्रोत माध्यमिक शिक्षा ही है। अच्छी-गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त जनशक्ति ही लोकतंत्र को सफल बनाती है। हुमायूँ कबीर कहते है-

''समाज के किसी भी शिक्षा-कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ से प्राथमिक व वयस्क शिक्षा के लिए अध्यापक मिलते है। यह छात्रों को विश्वविद्यालयी व उच्चतर अध्ययन की दूसरी संस्थाओं के लिए तैयार करती है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिस पर सभी देशों में बहुसंख्यक नागरिकों की शिक्षा समाप्त समझी जाती है। कुछ थोड़े से विद्यार्थी, जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे जाते है, वे तब तक विश्वविद्यालयों में प्राप्त होने वाले अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा सकते, जब कि माध्यमिक शिक्षा की स्वस्थ प्रणाली द्वारा इसका आधार पक्का न कर दिया जाय। अतएव यदि कोई

कारण न भी हो, तो केवल इन कारणों को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा उच्च-कोटि की हो, तभी यह आधुनिक युग की आवश्यकताओं का पूरा कर सकेगी।''

स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा का महत्व-उपादेयता शिक्षा-जगत के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक जगत् के लिए भी है। अमरीका-रूस में तो इसे अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत ले लिया गया है। भारत में भी ऐसा हो जाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार, प्रस्तुत शोध-अध्ययन का महत्व भारत-भारतीयों के लिए बहुत अधिक है। डॉ0 आत्मानंद मिश्र भी इसकी अनिवार्यता-महत्ता को स्वीकार करते है-

''देश के भावी कर्णधार माध्यमिक शिक्षा के ढाँचे में बनते व बिगड़ते हैं। सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने की क्षमता इसी स्तर पर उत्पन्न की जाती है। दुर्भाग्यवश शिक्षा की यह कड़ी जितनी महत्वपूर्ण व अनिवार्य है, उतनी ही निर्बल व उपेक्षित भी।''

1.7 शोध-अध्ययन का परिसीमन :-

प्रस्तुत शोध-अध्ययन व्यापक पैमाने पर संभव हो सकता था। परन्तु सीमित समय-कौशल-संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध-अध्ययन को इस प्रकार से परिसीमित किया है-

1. प्रस्तुत शोध-अध्ययन में प्रतिदर्श-रूप में फैजाबाद मण्डल के फैजाबाद जिले के माध्यमिक विद्यालयों को लिया गया है।

2. प्रस्तुत शोध-अध्ययन में प्रतिदर्श-चयन में कुल 6 माध्यमिक विद्यालयों को लिया गया है।

3. प्रस्तुत शोध-अध्ययन में प्रतिदर्शरूप में 3 अर्ध-सरकारी और 3 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को लिया गया है।

4. प्रस्तुत शोध-अध्ययन में प्रतिदर्श रूप में कुल 180 विद्यार्थियों को लिया गया है।

5. प्रस्तुत शोध-अध्ययन में प्रतिदर्श रूप में प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय से कुल 30 विद्यार्थियों को लिया गया है।

6. प्रस्तुत शोध-अध्ययन में प्रतिदर्श-रूप में केवल कक्षा-9 व कक्षा-10 के विद्यार्थियों को लिया गया है।

1.8 शोध अध्ययन की परिकल्पना :-

किसी भी शोध-अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण स्तम्भ होता है- 'परिकल्पना' (Hypothesis) परिकल्पना चयनित शोध-समस्या का एक अस्थायी समाधान (Tentative Solution) होती है, जो एक जांचनीय प्रस्ताव (Testable proposition) के रूप में प्रस्तुत की जाती है। वस्तुतः शोध-समस्या का यह जांचनीय प्रस्ताव (अस्थायी समाधान) ही तकनीकी भाषा में परिकल्पना कहलाता है। दूसरें शब्दों में, किसी शोध-समस्या का एक प्रस्तावित जांचनीय उत्तर ही परिकल्पना कहलाता है। अनुसंधान इसी परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है। अनुसंधान की समस्त क्रियाएँ परिकल्पना पर ही केन्द्रित होती है। परिकल्पना अनुसंधान-प्रक्रिया के नियोजन के लिए एक दिशा प्रदान करती है।

परिकल्पना का अर्थ:-

परिकल्पना को अंग्रेजी में 'Hypothesis' कहते है। 'Hypothesis' के दो अर्थ होते है-

1- Hypothesis = Hypo + Thesis = सम्भावित + समस्या समाधन का कथन। अर्थात वह सम्भावित कथन, जो समस्याका समाधान प्रस्तुत करता है। परिकल्पना शोध-समस्या के उस समाधान को प्रस्तुत करती है, जिसकी पुष्टि प्रदत्तों के आधार पर की जाती है।

2- Hypothesis = Hypo + Thesis = दो या दो से अधिक चरों का मिश्रण+ उन चरों की स्थिति को प्रदर्शित करना। अर्थात् दो या दो से अधिक चरों का मिश्रण कर उनकी स्थिति को प्रदर्शित करना, जिसकी पुष्टि प्रदत्तों के आधार पर की जाती है।

परिकल्पना की परिभाषा-

परिकल्पना की निम्नवर्त परिभाषाओं से इसका अर्थ व स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है-

1. एफ0एन0 करलिंगर के अनुसार-

"एक परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के सम्बंध के विषय में एक कल्पनात्मक कथन होता है।"

2. जे0सी0 टाउनसैण्ड के अनुसार-

"परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर होती है।"

परिकल्पना के प्रकार-

परिकल्पना का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। इन आधारों को ध्यान में रखते हुए परिकल्पनाएँ निम्नवत् प्रकार की होती है-

1. साधारण परिकल्पना (Simple Hypothesis)-

इसमें मात्र दो चर (Variable) होते है, जिनके बीच निहित सम्बन्ध द्वारा शोध-समस्या का प्रस्तावित उत्तर दिया जाता है।

2. जटिल परिकल्पना (Complex Hypothesis)-

इसमें चरों की संख्या दो से अधिक होती है, जिनके मध्य एक विशिष्ट सम्बन्ध बतलाकर शोध-समस्या का प्रस्तावित उत्तर तैयार किया जाता है।

3. सार्वत्रिक परिकल्पना (Couversal Hypothesis)-

यह वह परिकल्पना है, जो निहित चरों के सभी तरह के मानों (Values) के बीच के सम्बंध को हर परिस्थिति में हर समय बनाए रखती है।

4. अस्तित्वात्मक परिकल्पना (Existantial Hypothesis)-

यह परिकल्पना सभी व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए नही, तो कम-से-कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है।

5. कारणत्व परिकल्पना (Causal Hypothesis)-

इस परिकल्पना का निर्माण व्यवहार के कारणों को नियंत्रित करने ओर उसकी व्याख्या करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके माध्यम से

व्यवहार के विशिष्ट कारण या व्यवहार पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव की व्याख्या होती है।

6. वर्णनात्मक परिकल्पना (Descriptive Hypotehsis)-

इसका वर्णन व्यवहार के बारे में पूर्वकथन (prediction) करने और उसका वर्णन करने के लिये किया जाता है। यह व्यवहार की व्याख्या उसकी विशेषताओं या उस परिस्थिति जिसमें वह होता है, के रूप में करती है।

7. शोध परिकल्पना (Research Hyphothesis) या कार्यरूप परिकल्पना (Working Hyphothesis)-

यह परिकल्पना किसी घटना या तथ्य के लिए बनाए गए विशिष्ट सिद्धांत (Specific Theory) से निकाली गई अनुमति (Deductions) पर आधारित होती है।

8. शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis)-

यह शोध-परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है। यह एक तरह से उल्लिखित चरों के बीच 'प्रभाव नहीं की परिकल्पना' (Hyphothesis of 'no effect') होती है। दूसरे शब्दों में, यह वह परिकल्पना है, जिसके द्वारा चरों के बीच कोई अंतर नही होने का उल्लेख किया जाता है।

9. सांख्यिकीय परिकल्पना (Statistical Hypothesis)-

इसमें सांख्यिकीय जीवसंख्या (Staatisticl Population) के बारे में विशेष सम्बंध का कथन होता है, जिसे शोध में प्राप्त आँकड़ों के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्तुत शोध-अध्ययन की समस्या- '' माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गणुवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन''- सम्बंध में शोधकर्ता द्वारा निम्नवत परिकल्पनाएँ निर्मित की गई है-

1. माध्यमिक स्तर के सहायता-प्राप्त विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के गैर सहायता-प्राप्त विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर के सहायता-प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि स्तर संतोषजनक नहीं।
4. माध्यमिक स्तर के गैर सहायता-प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि स्तर संतोषजनक नहीं।
5. माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के संसाधनों और उनके विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि-स्तर में कोई सम्बन्ध नहीं होता।
6. शिक्षा के निजीकरण से माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।

*****

द्वितीय अध्याय

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

2.0 भूमिका

2.1 सम्बन्धित साहित्य का अर्थ

2.2 सम्बन्धित साहित्य की परिभाषा

2.3 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण की आवश्यकता

2.4 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण का उद्देश्य

2.5 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के कार्य लाभ

2.6 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के कार्य

2.7 सम्बन्धित साहित्य के स्रोत

2.8 सम्बन्धित साहित्य की सीमाएं

2.9 शोध समस्या से सम्बद्ध क्षेत्रों में कुछ प्रमुख अध्ययन

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

2.0 भूमिका :-

मानव एक सामाजिक प्राणी है। इस धारा का वह एकमात्र ऐसा प्राणी है, जिसके पास विवेक-बुद्धि है। अपने विवेक व बुद्धि के बल पर प्राकृतिक-भौतिक संसाधनों से लाभ उठाने में सक्षम है। उसकी इसी सक्षमता पर उसके विकास की दशा व दिशा निर्भर करती है। उसके विकास में जो संसाधन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह है 'ज्ञान'। मानव के पास ज्ञान का जो अक्षय भण्डार है, वह उसके सदियों के अथक परिश्रम का नतीजा है। वर्तमान मानव-पीढ़ी इसी ज्ञान को प्राप्त कर उससे लाभ उठाते हुए अपना विकास करना चाहती है। इस मानवीय ज्ञान के तीन पक्ष होते है-

क. ज्ञान को संचित करना,

ख. ज्ञान का प्रसारण करना अथवा उसे दूसरों तक पहुँचाना और

ग. ज्ञान में वृद्धि करना।

शोध के संदर्भ में ज्ञान के ये तीनों पक्ष अति-महत्वपूर्ण हैं। किसी शोध में शोधकर्ता अतीत के ज्ञान को नए रूप में ग्रहण कर वास्तविकता के निकट पहुंचने का निरन्तर प्रयास करता है। अपने प्रयासों से वह अर्जित ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाता है और ज्ञान-भण्डार को समृद्ध करता है। ज्ञान-भण्डार की इसी समृद्धि पर भावी पीढ़ी की सफलता निर्भर करती है। मानव का यह समस्त ज्ञान-भण्डार विभिन्न साहित्यों के रूप में उपलब्ध है। ऐसे ही साहित्यों का सर्वेक्षण (या समीक्षा) कर शोधकर्ता यह निश्चित कर सकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध-समस्या के संबंध में पूर्व में कार्य हो चुका है अथवा नहीं।

इसके अलावा इससे शोधकर्ता को अपनी शोध-समस्या का प्रारूप बनाने में मदद मिलती है।

2.1 सम्बन्धित साहित्य का अर्थ :-

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य है- शोध-समस्या से सम्बद्ध साहित्य। इस साहित्य में शामिल होते हैं-पुस्तकें, ज्ञानकोश, पत्र-पत्रिकाएं, प्रकाशित-अप्रकाशित शोध-प्रबंध और अभिलेख। ऐसे साहित्य के अध्ययन से शोधकर्ता को सहायता मिलती है - शोध-समस्या के चयन में, शोध-परिकल्पना के निर्माण में, शोध-अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में और शोध-कार्य को आगे बढ़ाने में।

2.2 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण की परिभाषा :-

विद्वानों ने 'सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण' को अपने-अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसी कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार है-

01. गुड्स बार-स्केट्स के अनुसार-

''योग्य चिकित्सक को औषधि-क्षेत्र में हुए नवीनतम अन्वेषणों के साथ चलना चाहिए.........स्पष्टत: शिक्षाशास्त्र के विद्यार्थी व शोधकर्ता को शैक्षिक सूचनाओं के साधनों-उपयोगों और उनके स्थापन से परिचित होना चाहिए।''

02. डब्ल्यू0 आर0 बर्गे के अनुसार-

''किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है, जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होता है। यदि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को दृढ़ नही कर लेते, तो हमारे कार्य के प्रभावहीन और महत्वहीन होने की सम्भावना है अथवा उसकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है।

03. जॉन डब्ल्यू0 बेस्ट के अनुसार-

''व्यवहारिक दृष्टि से सारा मानव-ज्ञान पुस्तकों व पुस्तकालयों में प्राप्त किया जा सकता है। अन्य जीवों के विपरीत-जो प्रत्येक पीढ़ी में नए सिरे से प्रारम्भ करते है- मानव-समाज अपने अनुभवों को संगृहित व सुरक्षित रखता है। ज्ञान के अथाह भण्डार में मानव का निरन्तर योगदान सभी क्षेत्रों में उसके विकास का आधार है।''

04. चार्टर वी0गुड के अनुसार-

''मुद्रित साहित्य के अपार भण्डार की कुंजी अर्थपूर्ण समस्या और विश्लेषणीय परिकल्पना के स्रोत का द्वार खोल देती है तथा समस्या के परिभाषीकरण, अध्ययन-विधि के चुनाव व प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता करती है। वास्तव में, रचनात्मकता, भौतिकता व चिंतन के विकास हेतु विस्तृत व गंभीर अध्ययन आवश्यक है।''

'संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण' में दो शब्द महत्वपूर्ण है- 'साहित्य' और 'सर्वेक्षण'। 'साहित्य' शब्द का प्रयोग परम्परागत अर्थ में भाषा के संदर्भ में (उदाहरणस्वरूप- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य आदि) किया जाता है। परन्तु यहाँ इसका अर्थ इस परम्परागत अर्थ से भिन्न है। यहाँ अर्थात् अनुसंधान-क्षेत्र में इसका अर्थ है- 'किसी विषय के अनुसंधान के विशेष क्षेत्र का ज्ञान'। इसके अंतर्गत आते है-सैद्धांतिक, व्यावहारिक व तथ्यात्मक शोध-अध्ययन।

अनुसंधान-क्षेत्र में 'सर्वेक्षण' (या समीक्षा) शब्द से तात्पर्य है- 'शोध के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की व्यवस्था करना' और ज्ञान को विस्तृत करके यह दिखाना कि-'शोधकर्ता द्वारा किया गया अध्ययन इस क्षेत्र में एक योगदान होगा'।

'सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण' का कार्य अत्यंत सर्जनात्मक व थकाने वाला होता है। कारण, शोधकर्ता को अपने अध्ययन को युक्तिपूर्वक कथन प्रदान करने के लिए प्राप्त ज्ञान को विलक्षण ढंग से एकत्र करना होता है।

सर्वेक्षण व प्रयोगात्मक शोध की तुलना मे ऐतिहासिक शोध मे 'साहित्य' व 'सर्वेक्षण' शब्दो का बिल्कुल भिन्न अर्थ होता है। ऐसे शोध मे शोधकर्ता को प्रकाशित तथ्यों के पुनर्निरीक्षण की अपेक्षा बहुत कुछ स्वयं की करना पड़ता है, वह ऐसी नई जानकारी को खोजने व एकत्र करने का प्रयास करता है, जो पहले कभी प्रकाशित न हुई हो और न ही जिस पर पहले कभी विचार हुआ हो। इस विधि मे अतीत को कभी भी अस्वीकार नही किया जाता और 'सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण' ही तथ्यों को एकत्र करने की विधि होती है। इस संदर्भ मे प्रयुक्त किए गए साधन 'शोध के आधार' होते है और पुनर्निरीक्षित की गई सामग्री 'शोध के तथ्य'। अतः ऐतिहासिक शोध में 'सम्बंधित साहित्य की समीक्षा' का प्राथमिक कार्य है- 'शोध-तथ्य' प्रदान करना।

सर्वेक्षण व प्रयोगात्मक शोध में 'संबंधित साहित्य की समीक्षा' द्वारा तथ्यों को एकत्र करके पूर्व में किए गए कार्यों से विभिन्नता स्थापित की जाती है। इन शोध-विधियों में नए अध्ययनों के लिए अतीत से प्राप्त होने वाले संदर्भों को जानने के लिए 'संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण' किया जाता है।

वस्तुतः 'संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण' के दो पक्ष होते है-

क. प्रथम पक्ष- इसके अंतर्गत आता है- समस्या क्षेत्र में प्रकाशित सामग्री पहचानना और अनवगत भाग को पढ़ना। इसमें उन विचारों-परिणामों विकास किया जाता है, जिसके आधार पर शोध-अध्ययन किया जाएगा।

ख. द्वितीय पक्ष- इसके अंतर्गत 'शोध अभिलेख भाग' आता है, जिसमें विकसित किए गए विचारों को लिखा जाता है। यह पक्ष शोधकर्ता व पाठक दोनों के लिए लाभकारी होता है। शोधकर्ता के लिए यह उस क्षेत्र में भूमिका स्थापित करता है और पाठकों के लिए यह विचारों-अध्ययन के लिए आवश्यक शोधों का सारांश प्रस्तुत करता है।

2.3 संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण की आवश्यकता :-

विद्वान शोध-क्षेत्र के लिए 'संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण' को अत्यंत आवश्यक मानते हैं। इसकी आवश्यकता निम्नवत् कारणों से मानी जाती है-

क. प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए यह अतिआवश्यक है कि वह अपनी समस्या से संबंधित दूसरों के द्वारा किए गए शोध और प्रयुक्त सम्बन्धित साहित्य की सूचनाओं से भलीभाँति अवगत हो। इससे वास्तविक शोध-योजना बनाने और शोध-अध्ययन करने में सहायता मिलती है।

ख. सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से शोधकर्ता अपनी रूचि के अनुरूप शोध-कार्य का क्षेत्र चुनता है। इस शोध का गुणात्मक-मात्रात्मक विश्लेषण शोधकर्ता को एक दिशा प्रदान करता है।

ग. सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण शोध-अध्ययन को साधन प्रदान करता है। इससे शोध-समस्या को पहचानने व उसका चयन करने में सहायता मिलती है। ऐसे साहित्य के आधार पर ही शोधकर्ता अपनी शोध-समस्या के लिए परिकल्पनाएँ बनाता है, जिससे शोध-अध्ययन को एक नई दिशा मिलती है और शोध-अध्ययन के परिणामों-निष्कर्षों पर वाद-विवाद करना संभव हो पाता है।

घ. सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से शोध-समस्या का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है और चयनित क्षेत्र में नवीन ज्ञान विकसित किया जा सकता है।

स्पष्ट है, किसी भी शोध-अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इससे शोध-अध्ययन में अत्यधिक सहायता मिलती है। शोध-अध्ययन के सभी स्तरों पर यह सहायक होता है। शोध-अध्ययन को सफल बनाने में इसकी महती भूमिका होती है।

2.4 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण का उद्देश्य:-

किसी भी शोध-कार्य में सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं, जो इसे महत्वपूर्ण-अपरिहार्य बनाते है। ऐसे उद्देश्य निम्नवत् हैं-

1. शोध-कार्य के लिए सिद्धांत-विचार व्याख्याएँ-परिकल्पनाएँ प्रदान करना। इनसे नई शोध-समस्या के चयन में सहायता मिल सकती है।
2. इस बात की जानकारी प्रदान करना कि चयनित शोध-क्षेत्र में कितना और किस प्रकार का कार्य हो चुका है।
3. शोध-परिकल्पना के लिए साधन प्रदान करना।
4. इन सबकी जानकारी प्रदान करना-चयनित शोध-समस्या के लिए किसी विधि-प्रक्रिया का प्रयोग उपयुक्त होता, कौन से उपकरण को प्रयुक्त करना उचित होगा व कौन-सी सांख्यिकी का प्रयोग करना होगा?
5. शोध-परिणामों का विश्लेषण करने में सहायता करना और उपयोगी निष्कर्षों व तुलनात्मक तथ्यों को निर्धारित करना।
6. किए गए शोध-कार्य के क्षेत्र में शोधकर्ता को निपुण बनाना और उसके सामान्य ज्ञान को विकसित करना।

ब्रूस डब्ल्यू0 टाकमन (1979) सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के निम्नवत् उद्देश्य बताते हैं-

1. महत्वपूर्ण चरों को खोजना।

2. जो किया जा चुका है और जो करना है- उसे पृथक् करना।

3. शोध-कार्य का प्रारूप बनाने के लिए प्राप्त अध्ययनों को एकत्रित करना।

4. समस्या का अर्थ, इसकी उपर्युक्तता, इसका संबंध और प्राप्त किए गए अध्ययन से इसके अन्तर को निर्धारित करना।

स्पष्ट है, सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य शोध-क्षेत्र के अध्ययनों की सीमाएँ स्पष्ट कर महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में शोधकर्ता में एक अंर्तदृष्टि उत्पन्न करना है। इसके द्वारा शोधकर्ता अपने शोध-कार्यों में सुधार करने के योग्य बनता है।

2.5 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से लाभ:-

किसी भी शोधकार्य में संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण अत्यंत लाभकारी होता है इसीलिए प्रत्येक शोध-कार्य का यह एक अभिन्न अंग होता है। संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से शोध-अध्ययन में निम्नवत् लाभ होते है:-

1. यह अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है
2. इसका ज्ञान शोध-कार्य का आधार होता है
3. यह शोध-समस्या के चयन-विश्लेषण-कथन में सहायक होता है।
4. यह शोध-समस्या के अध्ययन में एक सूझ-बूझ (msight) पैदा करता है।
5. यह शोधकर्ता के धन-समय-श्रम की बचत करता है।
6. इससे शोध-अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है।
7. यह शोधकर्ता को त्रुटियों से बचाता है व उसे सावधान रखता है।
8. शोध-प्रबंध के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में यह शोध के ज्ञान व उसकी स्पष्टता-कुशलता को स्पष्ट करता है।
9. यह अब तक चयनित शोध-क्षेत्र में हो चुके कार्य की सूचना देता है।

10. यह पहले किए गए कार्य के आँकड़े उपलब्ध कराकर वर्तमान अध्ययन में सहायता देता है।

11. यह शोध-समस्या के सीमांकन में सहायक होता है।

12. यह शोध-अध्ययन विधि में सुधार कर श्रम की बचत करता है और शोधकर्ता में एक आत्मविश्वास उत्पन्न करता है।

स्पष्ट है, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण शोध-कार्य के लिए अति-लाभकारी है। इससे शोध-अध्ययन की डगर आसान हो जाती है और शोधकर्ता के धन-श्रम-समय की बचत होती है। इससे शोध-अध्ययन में परिपूर्णता-उत्तमता आती है।

2.6 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण का कार्य :-

किसी भी शोध-कार्य में सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के कई कार्य होते है। इन्हीं कार्यों से शोध-अध्ययन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इन कार्यों की संख्या सामान्यतया पाँच होती है, जो इस प्रकार है-

1. चयनित शोध-अध्ययन के लिए निर्देशों अथवा संदर्भो (Reference) की अवधारणाएँ विकसित करना।
2. शोध-समस्या क्षेत्र के शोध की वस्तुस्थिति को समझना।
3. शोध-विधियों, साधनों व तथ्यों के विश्लेषण को आधार प्रदान करना।
4. चयनित शोध-अध्ययन की सफलता और निष्कर्षो की उपयोगिता (महत्व) की संभावना का आकलन करना।
5. चयनित शोध-अध्ययन की परिभाषाओं-कल्पनाओं-सीमाओं-परिकल्पनाओं के विश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण शोधकर्ता में चयनित शोध-समस्या के सम्बन्ध में एक स्पष्ट अवधारणा का निर्माण करता है। शोध-समस्या के सम्बन्ध में स्पष्ट अवधारणा होने से इसे किसी भी वाद-विवाद प्रतियोगिता या सभा में प्रस्तुत करने में समर्थ होता है।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण चयनित शोध-समस्या क्षेत्र में शोध की वस्तुस्थिति को स्पष्ट करता है। यह शोध की वस्तुस्थिति को प्रश्नवाचक शब्दों (क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ) के माध्यम से स्पष्ट करता है। उदाहरणस्वरूप-

1. सम्बद्ध समस्या क्षेत्र के पूर्व शोधों में किन पहलुओं को लिया गया है और क्या कार्य किया गया है?
2. सम्बद्ध समस्या क्षेत्र में शोध कब किया गया है व कितना नवीन शोध हुआ है?
3. सम्बद्ध समस्या क्षेत्र में पूर्व-शोध किस भौगोलिक क्षेत्र में किया गया है?
4. पूर्व-शोध चयनित शोध-समस्या क्षेत्र के लिए कितना उपयोगी है?

इन प्रश्नों के माध्यम से चयनित शोध-समस्या क्षेत्र में शोध की वस्तुस्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है और शोधकर्ता अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचते हुए उपयोगी बातों को अपने शोध-अध्ययन के लिए चुन लेता है।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण शोधकर्ता को अपने शोध-अध्ययन के लिए शोध की विधि व उपकरणों के चयन के लिए आधार प्रदान करता है। वह पूर्व-शोधों में प्रयुक्त शोध की विधियों-उपकरणों की जानकारी प्राप्त कर इसका निर्णय लेता है। असफल हुई शोध की विधियों-तकनीकों-उपकरणों का प्रयोग करने की कोशिश वह नहीं करेगा। इसके अलावा, सम्बन्धित साहित्य का

सर्वेक्षण शोधकर्ता को अपने शोध-अध्ययन के तथ्यों का विश्लेषण करने में भी सहायता करता है।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण शोधकर्ता को पूर्व-शोधों की सफलता व निष्कर्षों की उपयोगिता का मापन करने में सहायता करता है। सफल शोधों के लाभदायक निष्कर्षों को वह अपने शोध-अध्ययन के लिए चुन लेता है और असफल शोधों के विशिष्ट कारणों का पता लगाकर अपने शोध-अध्ययन को उनसे बचाते हुए उसकी सफलता सुनिश्चित करता है। आवश्यक होने पर वह अपनी शोध-समस्या को भी बदल देता है।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण शोधकर्ता को अपने शोध-अध्ययन की सफलता के प्रति आश्वस्त करता है। इस आश्वासन के बाद वह साहित्य से आवश्यक सामग्री लेकर प्रयास करेगा- परिभाषाएँ-अवधारणाएँ-सीमाएँ-परिकल्पनाएँ बनाने का।

स्पष्ट है, सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण शोध-अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। इन्हीं कार्यों के आधार पर शोध-अध्ययन की सफलता निश्चित हो जाती है।

2.7 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के स्रोत :-

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के कई स्रोत या साधन है। इनमें से प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं-

1. पुस्तकों व पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री (Books & Text-Books material)-

शोध-अध्ययन के लिए ऐसे पुस्तकों की सामग्री काफी महत्वपूर्ण होती है। इनमें विशिष्ट संदर्भ मिलते है, जो ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र के लिए पर्याप्त होते है। आंग्ल-भाषा में प्रकाशित सर्वाधिक उपयोगी पुस्तकों की सूची इनमें मिलती

है- संचयी पुस्तक सूचकांक (Cumulative Book Index),बुक रिवु इंडेक्स, बुक्स डिबु डाइजेस्ट, राष्ट्रीय संघीय नामावली (National Union cotalogue)। 'संचयी पुस्तक सूचकांक' प्रतिमास प्रकाशित होता है। 'विषय सूचक पुस्तकें' बताती है कि पुस्तकें प्रेस में है, छपने वाली है अथवा छपी हुई है।

02. सामान्य संदर्भ –

अनेक मूल संदर्भ ग्रन्थ ऐसे है, जिनसे परिचित होना शोधकर्ता के लिए अतिआवश्यक है। इनमें सभी प्रकार के संदर्भ और मानव-ज्ञान के सभी क्षेत्रों से सम्बद्ध ज्ञान संग्रहीत रहता है। कुछ प्रमुख संदर्भ-ग्रंथ इस प्रकार है-

1. Constance M.Winchall.ed. A Guide to Reference Books, 7 th ed., Chicago, American Library Association. 1951, pages 645 and Supplements.

इसका सम्पादन किया है- Isdore ने। इसका प्रकाशन अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में हो चुका है। इसका एक भाग शिक्षा से संबंधित है।

2.Leuis Shores.ed. basic Reference Source, Chicago, American Library Association. 1954, pages 378.

यह सभी प्रकार के संदर्भो का एक विस्तृत सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जिन स्रोतों का विवरण दिया गया है,उनका मूल्यांकन भी किया गया है।

3.Carter Alecander & Arvid J.Barks, How to Locate Educational Data and Informations, 4th ed, Newyork, Bureau of publication. Teachers collgegs, co lumpir University, 1958, pages 436.

इसमें विशेष रूप से शिक्षा संबंधी सूचनाओं-संदर्भो को उनकी टिप्पणी व उपयोग-विधि सहित विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है।

03. समसमायिक प्रकाशन (Periodicals)-

इसके तहत समय-समय पर निकलने वाली पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। इनका प्रकाशन क्रमबद्ध भागों में प्राय: एक निश्चित अंतराल के बाद व अनिश्चित काल के लिए होता है। इनके अंतर्गत आते है- वार्षिक-पुस्तिका (year-book), अभिलेख (documents), संचयी पुस्तकों की सूची (Cumulative Book Index), अंतर्राष्ट्रीय शोध

सारांश (International Abstracts), मासिक पत्रिका (Journals), समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ,अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं का सूचकांक आदि। 'शिक्षाशास्त्र की पत्रिकाओं का नवीनतम सूचीपत्र' न्यूयार्क में प्रतिमास प्रकाशित होता है। 'न्यूयार्क का पुस्तकों का सूचकांक' अंग्रेजी व विदेशी भाषा दोनों में प्रकाशित पत्रिकाओं-पुस्तकों की नवीनतम सूची-पत्र द्वारा निर्देशन करता है।

04. सारांश (Abstractsdocuments)-

इनमें शोध-अध्ययनों का संक्षिप्तीकरण (सार) दिया जाता है। मनोविज्ञान-शिक्षा-समाजशास्त्र की सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के लेखों का सार (निचोड़) इनमें प्रकाशित किया जाता है जो नवीन शोध-कार्य में सहायक होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेख-सार (Abstracts) इस प्रकार हैं:-

1. एरिक शैक्षिक अभिलेखीय सारांश-वाशिंगटन (डी0सी0) से प्रकाशित होता है प्रतिवर्ष इसमें पूरे वर्ष के शैक्षिक साधनों के अभिलेखों का सारांश होता है।

2. Psychological Abstracts Wastington D.C, American psychology Association 1927 to date.

यह एक मासिक प्रकाशन है। इसमें लगभग 500 मनोवैज्ञानिक पत्रिकाओं के सार दिए जाते हैं। इसके प्रत्येक अंक के 12 भाग होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध होते हैं।

3. Indian Education Abstracts, Ministry of Education, New Delhi, 1955.

यह एक त्रैमासिक प्रकाशन है और हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता है। इसमें लगभग 50 भारतीय पत्रिकाओं के सार आते है, इसके लेख विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत होते है। उदाहरणस्वरूप- शिक्षा मनोविज्ञान, परख और मापन, परीक्षा-छात्र-छात्राएँ संघ, शैक्षिक-व्यावसायिक निर्देशन आदि।

4.Basic Education Abstracts National Institute of Basic Education (India).

यह अंग्रेजी-हिन्दी-मराठी-गुजराती-बंगाली भाषाओं में प्रकाशित होता है। इसमें 12 क्षेत्रों से सम्बद्ध लेखों के सार होते हैं। उदाहरणस्वरूप- दर्शन व सिद्धांत, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधि, शिक्षक व उनका प्रशिक्षण आदि।

3.Educational Studies & Investigations, Asia Publishing House, Bombay, Vol, 1957.

इस सारांश से भी नवीन शोध-कार्यो में सहायता मिलती है। इसमें अनेक विश्वविद्यालयों के शिक्षा-मनोविज्ञान-समाज विज्ञान विभागों के एम0ए0 व एम0एड0 के छात्रों के लघु-शोध प्रबंध के सार प्रकाशित होते हैं।

05. विश्वकोश (Encyelopaedia)-

इसमें विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त सूचनाएँ होती है, थोड़े-से प्रयास से इसमें से अनेक बहुमूल्य संदर्भ ढूँढे जा सकते है। 'सामान्य ज्ञानकोश' में सभी विषय होते है, जबकि 'विशेष ज्ञानकोश' में किसी क्षेत्र विषय से संबंधित सामग्री होती है। 'शैक्षिक शोध का विश्वकोश' न्यूयॉर्क से प्रति दस वर्ष पर प्रकाशित होता है। इसमें शैक्षिक समस्याओं पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यो का वर्णन होता है।

भारत में ऐसा ज्ञानकोश तैयार नहीं किया जा सका है। कुछ वर्ष पूर्व जे0पी0 नायक द्वारा इसके लिए प्रयास किया गया था, परन्तु वह प्रयास अपने अंजाम तक न पहुँच सका।

06 विशिष्ट शब्दकोश (Specialized Dietionaries)-

शिक्षाशास्त्र पर विशिष्ट शब्दकोश भी उपलबध है, जिसमें महत्वपूर्ण पदों-शब्दों को अर्थ के साथ दिया गया है। 'शिक्षाशास्त्र का शब्दकोश, न्यूयॉर्क में तकनीकी, व्यावसायिक व विदेशी शैक्षिक शब्द दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा भी शिक्षाशास्त्र का एक शब्दकोश तैयार कराया गया है, जिसमें ऑग्ल से हिन्दी में तकनीकी व्यावसायिक शब्द दिए गए हैं।

07. शोध प्रबंध व लघु शोध-प्रबंध (Thesis & Dissertations)-

इनमें शैक्षिक शोधों की प्रस्तुतीकरण का समावेश रहता है। इन्हें विभिन्न संस्थाओं-विश्वविद्यालयों में सुरक्षित रखा जाता है। शैक्षिक पत्रिकाओं में कभी-कभी इनका प्रकाशन पूर्ण या आंशिक रूप से हो जाता है। इनसे भी नवीन शोध कार्यो में सहायता मिलती है।

08. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर संदर्भ पुस्तकें (Reference Books on International Education)

इनमें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रकाश डाला जाता है। इनसे भी शोध कार्य में सहायता मिलती है। ऐसी कुछ प्रमुख पुस्तकें है-

(a). शिक्षाशास्त्र की वार्षिक पुस्तक-प्रतिवर्ष न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है।

(b). शिक्षाशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक पुस्तक-जेनेवा से अंग्रेजी व फ्रेंच भाषा में प्रकाशित होती है। अमरीका-कनाडा सहित 40 से अधिक देशों में पूर्व वर्षो में विकसित शैक्षिक समीक्षा को प्रस्तुत करती है।

09. पत्रावली (Almanacs), पुस्तकें (Hand-books), वार्षिक पुस्तकें (year-books) और सहायक पुस्तकें व निर्देशिका (Help book & Directory)-

इन सभी के तहत वैसे प्रकाशन आते है, जो दिए गए उद्देश्य से सम्बद्ध विभिन्न विषयों की नवीनतम सूचनाओं के विवरण प्रस्तुत करते है। सामान्यतया परिगणना संबंधी प्रकृति की विशिष्ट सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे संदर्भो की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे संदर्भ इस प्रकार है-

(a).विश्व पत्रांक (world Almanac)-'तथ्यों संबंधी पुस्तक, न्यूयॉर्क' (Book of Facts, New york) इसमें विभिन्न विषयों की सूचनाएँ होती है।

(b) पुस्तक (hand Book)- 'शिकागो की शिक्षण पर शोध की छोटी पुस्तक' (hand Book of Research on Teaching, Chicago)- । इसमें विस्तृत संदर्भ पुस्तकों की सूची के साथ शिक्षण पर विस्तृत शोध-अध्यापनों को दिया जाता है।

(c) वार्षिक पुस्तक (i) एजूकेशन ईयर बुक न्यूयार्क- संदर्भ पुस्तिकाओं व विस्तृत संदर्भ पुस्तकों की सूची के साथ विभिन्न शैक्षिक विषयों पर सांख्यिकीय आँकड़े दिए होते है।

(ii) उच्च शिक्षा की वार्षिक पुस्तक- इसमें अमरीका कनाडा मैक्सिको में उच्च शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में सूचनाएँ होती है।

10. समाचार-पत्र (News papers)-

प्रचलित समाचार-पत्रों से शिक्षा-क्षेत्र की नवीनतम घटनाओं व उसके विकास की सूचना मिलती है। शोध-अध्ययन में इनसे भी सहायता मिलती है।

स्पष्ट है सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के विविध स्रोत है। इनका अनुशीलन कर शोधकर्ता अपने शोध-अध्ययन के लिए महत्वूपर्ण सामग्री एकत्र कर सकता है।

2.8 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण की सीमाएँ :-

संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से शोध-अध्ययन में अत्यधिक सहायता मिलती है। परन्तु ऐसे सर्वेक्षण की कुछ अपनी सीमाएँ (कमियाँ) होती है, जो शोध-कार्य को त्रुटिपूर्ण बना सकती है। ये सीमाएँ इस प्रकार है-

0.1 सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण शोधकर्ता के अन्दर उस समस्या के प्रति एक विशेष प्रकार का झुकाव-पक्षपात भाव उत्पन्न कर सकता है। इससे सम्पूर्ण शोध-प्रक्रिया के पक्षपातपूर्ण होने की सम्भावना रहती है।

0.2 शोधकर्ता अपने शोध-अध्ययन के निष्कर्षों की पूर्व-शोधों के निष्कर्षों से तुलना करते समय सामान्यता निम्नवत् तथ्यों की अपेक्षा कर देता है-

a. पूर्व-शोधकर्ता की अवधारणाएँ क्या थीं?

b. पूर्व-शोधकर्ता के न्यादर्श की विशेषताएँ क्या थीं?

c. पूर्व-शोधकर्ता द्वारा प्रयुक्त उपकरण किस सीमा तक विश्वसनीय-वैध था?

d. निष्कर्षों को निकालने में प्रति-शोधकर्ता ने किस सीमा तक उपयुक्त सांख्यिकीय तार्किक विधियों का प्रयोग किया था?

स्पष्ट है, सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण की कुछ सीमाएँ है। एक शोधकर्ता को इनसे बचते हुए अपने शोध-अध्ययन को पक्षपातरहित बनाने का प्रयास करना चाहिए।

2.9 शोध समस्या से सम्बद्ध क्षेत्र में हुए कुछ प्रमुख अध्ययन :-

01. मोहापात्रा, टी. 1991 "माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की समस्याएँ: सरकारी और निजी स्कूल शिक्षकों का एक तुलनात्मक अध्ययन". पीएच0डी0, सोक (SOC) उत्कल विश्वविद्यालय।

उद्देश्य:-

(i) कटक शहर के माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की कुल संख्या के साथ उनकी संरचना और पद्धति का अध्ययन करना (सरकारी एवं निजी स्कूलों का अलग-अलग)

(ii) शिक्षक की छवि और विद्यालय-पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम गतिविधियों से उनकी अंत:क्रिया व उनके संबंध को प्रकट करना।

(iii) पाठ्य पस्तुकों, पाठ्यक्रम, परीक्षा व मूल्यांकन के संबंध में उनकी स्वतंत्रता-पहल रचनात्मकता का आलोचनात्मक परीक्षण करना।

(iv) सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में उनकी विविध भूमिकाओं का अध्ययन करना।

(v) समाज में उनके अनुचित व्यवहार, उनकी कार्य-संतुष्टि, आशा और निराशा के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना।

(vi) माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के महत्व का आकलना करना।

(vii) उड़ीसा में शिक्षक संगठन के उद्देश्यों व लक्ष्यों की जाँच करना।

निष्कर्ष-

0.1 शिक्षक (पुरूष व महिला दोनों) समाज के सभी वर्गो से थे, परन्तु उनमें से अधिकतर निम्न और निम्न-मध्य आय वर्ग से थे। पुरूष शिक्षकों की अपेक्षा अधिकतर महिला शिक्षक उच्च परिवार से संबंध रखती थी।

0.2 निजी स्कूल के शिक्षक, सरकारी स्कूल के शिक्षकों की अपेक्षा अधिक योग्य (qualified) पाए गए। निजी स्कूलों में उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले

शिक्षक उच्च स्तरों में रिक्तियों की कमी के कारण एक निम्न स्तर में कार्यरत थे।

0.3 शहरी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि कटक शहर में माध्यमिक शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त थी। सरकारी और निजी विद्यालयों दोनों की कक्षाएँ, प्रत्येक कक्षा में संवर्ग (section) के बावजूद, भीड़भरी या अधिक भीड़भरी थी।

0.4 निजी विद्यालय की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएँ, जैसे लाइबेरी सुविधा, उपकरणों के साथ प्रयोगशाला, छात्रावास सुविधाएँ, शिक्षक-आवास, अच्छी थी। फाइनल एच0 एस0 सी0 परीक्षा में विद्यार्थियों की निष्पत्ति भी सरकारी विद्यालयों में अच्छी पायी गई।

0.5 वर्तमान शिक्षा-पद्धति के संबंध में, लगभग 70 प्रतिशत शिक्षकों ने किया कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति बेरोजगारी को जन्म देती है।

0.6 अधिकतर शिक्षकों ने धर्म को महत्व नहीं दिया।

0.7 लगभग 83.75 प्रतिशत शिक्षक हमारे समाज के सुधार के लिए भौतिकवादी उपागम के पक्ष में थे।

0.8 शिक्षकों का बहुमत अपने सहयोगियों के साथ मित्रवत-संबंध को महत्व नहीं देता था।

0.9 शिक्षक, विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क रखने के लिए चिंतित नहीं थे।

0.10 शिक्षकों के भारी बहुमत ने यह मत व्यक्त किया कि अनुशासित पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनुउर्पयुक्त है।

0.11 माध्यमिक विद्यालय की पाठ्य-पुस्तकों के संबंध में, लेखकों और पाठ्य-प्रकरणों की वर्तमान चयन-प्रक्रिया के प्रति अधिकतर शिक्षकों ने असंतुष्टि जाहिर की

स्रोत- बुच, एम0बी0, शैक्षिक अनुसंधान का पाँचवाँ सर्वे (1988-92) Vol. II (NCERT), P- 1185.

0.2 डी लीमा, एस0यू0 1988 ''उत्तरी-पश्चिमी बम्बई में गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और सहायता-प्राप्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की आर्थिक समस्याओं, उनकी शैक्षिक स्थिति के संबंध में, का एक अध्ययन''. पीएच0डी0, एडू (Edu) मुम्बई वि0वि0।

<u>उद्देश्य-</u>

(i) सहायता ओर गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की आर्थिक समस्याओं का एक तुलनात्मक अध्ययन करना।

(ii) इन विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक निवपत्ति की तुलना करना।

(iii) इस बात का अध्ययन करना कि आर्थिक संसाधन और शैक्षिक प्रगति सह-सम्बन्धित है या नहीं और ये सह- सम्बन्ध सहायता प्राप्त व गैर सहायता वर्गों के विद्यालयों के लिए भिन्न है, या नहीं।

(iv) यदि उक्ति व प्रगति परस्पर जुड़े है, तो महाराष्ट्र के माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायता प्रदायी संहिता में सुधार के लिए सुझाव देना।

<u>निष्कर्ष-</u>

विद्यालयों की शैक्षिक निष्पत्ति पर विपरीत प्रभाव डालने वाले कारकों में अपर्याप्त वित्त के अलावा अन्य कारक थे।

a. उच्च विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात,

b. आधुनिक शिक्षण-सहायक सामग्री का अभाव।

c. सेवाकालीन प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव,

d. उपचारात्मक शिक्षण का अभाव और

e. शिफ्ट पद्धति, आदि।

गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में अवांछनीय व्यवहारों व अस्वास्थ्यकर शैक्षिक पर्यावरण के लिए मुख्यत: धन की कमी ही उत्तरदायी थी, जिसका परिणाम खराब निवपत्ति थी।

स्रोत- बुच,एम0बी0, शैक्षिक अनुसंधान का पाँचवाँ सर्वे (1988-92) Vol-II (NCERT), p- 856-57

0.3 मैथ्यू, ई0टी0 1988. ''केरला में निजी क्षेत्र में महाविद्यालय शिक्षा के वित्तीयन का एक अध्ययन''. स्वतंत्र अध्ययन. केरला वि0वि0 (ICSSR द्वारा वित्त पोषित)

<u>उद्देश्य-</u>

(i) केरल में निजी क्षेत्र में महाविद्यालयों के वित्तीयन की प्रवृत्ति व पद्धति और वित्त के विविध स्रातों- संस्थागत व गैर-संस्थागत, सार्वजनकि व निजी- की पहचान व मूल्यांकन करना।

(ii) उच्च-शिक्षा के लक्ष्यों के संबंध में उनके महत्व के आकलन की दृष्टि से व्यय की पद्धति व प्रवृत्ति में परिवर्तनों की जाँच करना।

(iii) शिक्षकों की योग्यता और परीक्षा-परिणामों द्वारा घोषित वित्तीयन व शैक्षिक निवत्ति के बीच यदि कोई संबंध है, तो उसकी विवेचना करना।

<u>निष्कर्ष-</u>

01. केरल में महाविद्यालयों के वित्तीयन का सबसे प्रमुख स्रोत राज्य सरकार थी, जो कुल व्यय का 90 प्रतिशत उपलब्ध करा रही थी। उसके बाद आवश्यक वित्त उपलब्ध कराने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और

महाविद्यालय प्रबंधन का स्थान था। सम्बन्धित क्षेत्र के विश्वविद्यालय का महाविद्यालयों के व्ययों में अत्यधिक अल्प योगदान था।

02. महाविद्यालय-व्यय का सबसे प्रभावशाली घटक शिक्षण और शिक्षणेत्तर स्टॉफ का वेतन था। एक दशके के दौरान राज्य से प्राप्त औसत वेतन अनुदान में 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई।

03. छात्रवृत्ति और वेतन-भत्ते (stipends) व्यय की दूसरी महत्वपूर्ण मदें थी। इस मद के लिए राज्य सरकार से मिलने वाला अनुदान पिछले कुछ समय से घटा था। लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और मैंटिनेंस के लिए राज्य से मिलने वाला अनुदान कुल का 1 प्रतिशत से भी कम था।

04. महाविद्यालय-प्रबंधन ने प्राथमिक रूप से अनवर्ती व्यय (Non-recurring Expenditure)- मुख्यत: भूमि-क्रम, भवन-निर्माण, प्रयोगशाला विकास आदि में पर्याप्त आर्थिक योगदान किया।

05. महाविद्यालय-व्ययों के वित्तीयन में अल्पांश के बावजूद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के महत्व में वृद्धि हुई।

06. निजी महाविद्यालयों के लिए गैर-संस्थागत वित्त, शुल्क, कल्याणकारी योगदान (donation)- प्रकीर्ण प्राप्तियाँ (Miscellaneous Receipts) में वृद्धि हुई।

07. स्टॉफ, विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम जनता से महाविद्यालयों में किया गया कल्याणकरी योगदान (donations)- सापेक्ष रूप से अल्पांश था।

08. 1972-86 की 14 वर्षो की अवधि के दौरान महाविद्यालयों का पूँजीगत व्यय लगभग पॉच गुना बड़ा। इसके साथ ही आवर्ती व्यय (Recurring Expenditure) भी पर्याप्त रूप से बढ़ गया, यद्यपि यह पूजीगत व्यय जितना नही था।

09. स्टाफ - वेतन पर अत्यधिक व्यय होने के कारण, केरल में महाविद्यालय विकास पर अधिक धनराशि व्यय करने की स्थिति में नही थे। वास्तव में, राज्य में उच्च शिक्षा की बर्बादी (Deterioration) के लिये संगठनीकरण (Unionisation) और योग्यता की बजाय अवधि आधारित प्रोन्नति (Promotion) को श्रेय दिया जा सकता है। इससे वेतन - बिल बढ़ गई।

10. राज्य में कुछ यद्यपि कुछ महाविद्यालयो की निष्पत्ति (Performance) निर्विवाद रूप से संतोषजनक थी, सामान्य रूप से अधिकतर महाविद्यालयो की शैक्षिक निष्पत्ति को सुधारने की जरूरत थी।

स्रोत - बुच, एम0पी0 शैक्षिक अनुसंधान का पॉचवा सर्वे (1988-92) वाल्यूम-2 (N.C.E.R.T.) P - 859-60.

Q.4 राजैयाह, बी. 1989 "प्राथमिक शिक्षा में निजी निवेश: वारंगल जिला, आंध्रप्रदेश में एक अध्ययन" स्वतंत्र अध्ययन मनचेरियल: राजकीय कॉलेज (ERIC Funded).

उद्देश्य:-

निजी प्रबंधन की सहभागिता से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर रोशनी डालना।

निष्कर्ष:-

01. निजी क्षेत्र जिले में प्राथमिक शिक्षा का केवल अल्प भाग ही नियंत्रित करता है, यद्यपि निजी प्रबंधन के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की संख्या एक वर्ष के दौरान (1982-82 से 1982-1983) लगभग 6 गुना बढ़ गई।

02. 1971-1972 में, प्राथमिक विद्यालयों का 30प्रतिशत भाग उनके अपने भवन में केंद्रित थे, जबकि 46 प्रतिशत भाग किराया रहित भवन में थे। किराया युक्त भवन 16 प्रतिशत थे।

03. 1972-72 में प्राथमिक विद्यालय का केवल 40प्रतिशत भाग पक्का भवन में केंद्रित था; जबकि उनका लगभग आधा भाग घास-फूस निर्मित अस्थायी भवनों में चल रहा था।

04. 1975-76 के दौरान, कक्षा-1 में 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में 69प्रतिशत वृद्धि हुई अर्थात आधे से अधिक बच्चे विलम्ब से आये 15 प्रतिशत बच्चे 10 वर्ष से अधिक उम्र के थे।

05. सभी प्रकार के प्रबंधनो के तहत अधिकतर विद्यालयों के पास 5 से कम कमरे थे।

06. जिले में लगभग आधा विद्यालयों का खेल-मैदान एक हेक्टेयर से कम था।

07. 1975-76 में, 1142 विद्यालयों में से केवल 34 के पास शौचालय व पेशाबघर था।

08. 1975-76 से 1982-83 की अवधि के दौरान प्राथमिक विद्यालयों मे SC (अनुसूचित जाति) का प्रतिशत अंश 11 से बढ़कर 23 हो गया।

09. 1975-76 से 1982-83 की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति (ST) का नामांकन 3231 से बढ़कर 14,478 हो गया। ST बच्चों को प्रोत्साहन उपलब्ध (Incentives) कराया जाता था।

10. प्राथमिक विद्यालय में सूचित पिछड़ा वर्ग (LBCs) का अंश, जिले में उनके अंश से कम पाया गया।

11. 1975-76 से 1982-83 के दौरान, लड़कियों की नामांकन संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

12. वारंगल जिले में कार्यरत अधिकतर शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक (92%) थे।

13. पुरूष शिक्षकों के लिए उच्चतम आवृत्ति उम्र-समूह 30-35 था, जबकि महिला शिक्षकों के लिए यह 25-30 था।

14. शिक्षण में महिला-सहभागिता पर्याप्त नही थी। औसत महिला सहभागिता 10.5% थी।

15. वित्त का 97% सरकार से आता था। प्रत्यक्ष व्यय का 93 शिक्षकों के वेतन और भत्तों पर व्यय होता था। अप्रत्यक्ष व्यय का 87 छात्रवृत्ति, अन्य भत्तों और अन्य आर्थिक छूटों पर व्यय होता था।

स्रोत- बुच, एम0बी0 शिक्षा अनुसंधान का पांचवा सर्वे (1988-92), Volume-II (N.C.E.R.T), P- 861

Q.5 शर्मा, रंजना. 1992, ''पूर्व- विद्यालय शिक्षाः पुणे शहर में सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों का एक तुलनात्मक अध्ययन'' एम0फिल0, एडू0 पूना विश्वविद्यालय.

उद्देश्य-

1. शहरी क्षेत्रों में सहायता-प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त पूर्व विद्यालयों के बीच अंतर उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करना।
2. बच्चों के अधिगम से इन कारकों की संलग्नता बच्चों की जाँच करना।
3. इन दोनों के बीच दूरियों को कम करने के लिए उपयुक्त सुझाव देना।

निष्कर्ष-

1. अच्छी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले अभिभावकों ने सहायता प्राप्त पूर्व-विद्यालयों की अपेक्षा और गैर सहायता प्राप्त पूर्व-विद्यालयों को

वरीयता दी; केवल इसलिए नही कि वे अच्छी भौतिक-शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराते थे, वरन् इसलिए भी कि गैर-सहायता प्राप्त पूर्व-विद्यालय प्रवेश के समय एक 'स्क्रीनिंग' उपकरण का प्रयोग करते थे।

2. गैर-सहायता प्राप्त पूर्व-विद्यालयों की अधिगम अवधि लम्बी थी जहाँ इनकी अधिगम अवधि 2 वर्ष की थी, वही सहायता-प्राप्त पूर्व-विद्यालयों की अधिगम अवधि एक ही वर्ष की थी।

3. गैर-सहायता प्राप्त पूर्व-विद्यालयों मे प्रवेश प्राप्त करना अभिभावकों और बच्चों दोनों के लिए पर्याप्त रूप से कठिन था।

4. सहायता प्राप्त पूर्व-विद्यालय न्यूनतम अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं करते थे।

स्रोत:- बुच, एम0बी0, शिक्षा अनुसंधान का पाँचवां सर्वे (1988-92) Vol-II (N.C.E.R.T), P- 1125-26

Q.6 **गोनआल्वेस, एफ0 1989,** ''प्राथमिक शिक्षकों की कार्य संतुष्टि का एक आलोचनात्मक अध्ययन'' पी0एच0डी0, एडू0 श्रीमती नार्थाबाई दामोदर थाकर से महिला विश्वविद्यालय.

उद्देश्य-

1- जिला परिषद और निजी विद्यालयों के शिक्षकों की कार्य संतुष्टि का अध्ययन व तुलना करना।

2- पुरूष और महिला शिक्षकों की कार्य-संतुष्टि की तुलना करना।

निष्कर्ष:-

1. सभी प्रकार के शिक्षकों के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम शिक्षक अपने कार्य से संतुष्ट थे।

2- अपने कार्य से शिक्षकों की असंतुष्टि के कारण दूरस्थ स्थानों में उनके स्थानांतरण और उन्हें दिए जाने वाले अन्य कार्य जैसे- परिवार नियोजन, मतदाता सूची तैयार करना, सर्वेक्षण आदि थे।

3- शिक्षकों की शिक्षण कार्य में वास्तव में रूचि पायी गई; परन्तु विद्यालय में संदर्भ पुस्तकें; दृश्य सामग्री आदि उपलब्ध नही थें।

4- शिक्षक शिक्षा-नीति, शिक्षक-प्रशासक सम्बंध, शिक्षकों के नैतिक मूल्यों, अपने समय और शिक्षक सेवा-शर्तो से पर्याप्त रूप से संतुष्ट थे।

स्रोत- बुच, एम0बी0, शैक्षिक अनुसंधान का पाँचवॉ सर्वे (1988-92) Vol-II (NCERT), P-1140.

Q.7 **शान्डिल्या, मनोरमा- 1990** ''कानपुर शहर के केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और सरकारी-सहायता प्राप्त निजी रूप से प्रबंधित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में निराशा का एक अध्ययन''. पी0एच0डी0, एडू0 कानपुर विश्वविद्यालय.

उद्देश्य:-

1. कानपुर शहर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों (केन्द्रीय विघालयों, राज्य सरकारी विद्यालयों और राज्य सरकारी- सहायता प्राप्त निजी रूप से प्रबंधित विद्यालयों के शिक्षकों) में निराशा की प्रकृति व निराशा की मात्रा का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की उम्र, कार्य-भार, सेवा-शर्तो वेतन-भत्तों तथा निराशा के बीच सम्बंधों को खोजना।

निष्कर्ष:-

1. निराशा- प्राप्तांक का वितरण प्लेटीकर्टिक था।
2. केन्द्रीय विद्यालयों के पुरूष शिक्षकों ने निराशा, उम्र, सेवा शर्तो और कार्य-भार में एक सम्बंध प्रदर्शित किया।
3. वेतन -भत्ते ने निराशा से कोई सम्बंध प्रदर्शित नहीं किया।

4. केन्द्रीय विद्यालयों की महिला शिक्षकों ने निराशा और वेतन-भत्तों, उम्र, सेवा-शर्तो व कार्य-भार के बीच किसी प्रकार के सम्बंध के संकेतिक नही किया।

5. राज्य सरकारी विद्यालयों के पुरूष व महिला शिक्षकों ने कार्य-भार व निराशा के बीच एक सम्बंध को संकेतिक किया।

6. वेतन-भत्तों, उम्र व सेवा-शर्तो ने निराशा से कोई सम्बंध प्रदर्शित नही किया।

7. निजी विद्यालयों के पुरूष शिक्षकों ने निराशा व सेवा-शर्तो के बीच एक सम्बंध प्रदर्शित किया जबकि निराशा व अन्य चारों (यथा-वेतन-भत्ते, उम्र व कार्य-भार) के बीच किसी सम्बन्ध का आस्तित्व नहीं था; जबकि निजी विद्यालयों की महिला शिक्षकों ने निराशा व वेतन-भत्तों और निराशा व सेवा-शर्तो के बीच एक सम्बंध को प्रदर्शित किया।

8. निराशा- उम्र व निराशा-कार्यभार के बीच किसी सम्बंध का अस्तितव नहीं था।

स्रोत- बुच, एम0बी0, शैक्षिक अनुसंधान का पाँचवां सर्वे (1988-92) Vol-II (N.C.E.R.T), P- 1482.

*****

तृतीय अध्याय- विधि तंत्र

3.0 अनुसंधान विधि

3.1 प्रतिदर्श का चयन

3.2 उपकरण का चयन

3.3 प्रदत्तों का संकलन

3.4 परीक्षण का प्रशासन

3.5 अंकीकरण

3.6 प्रयुक्त सांख्यिकी

विधि तंत्र

3.0 अनुसंधान विधि :-

मानव जीवन में अनुसंधान (Research) का एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। इससे मानव जीवन की कई समस्याएँ सुलझती है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पूर्व में ज्ञान में परिमार्जन संशोधन होता है। यह मानव-जीवन में विकास की नई-नई दिशाएँ खोलता है, जिससे नए-नए आयाम स्थापित होते है। इसीलिए वर्तमान समय में ज्ञान की प्रत्येक शाखा में गहन अनुसंधान होता है। व्यवहारपरक विज्ञान (Behavioural Science) भी इसका अपवाद नहीं। शिक्षा एक ऐसा व्यवहार परक विज्ञान है, जिसमें वैज्ञानिक विधियों द्वारा अनेक तरह के शोध-कार्य किए जाते हैं। ऐसी विधियों द्वारा किए गए शोध को ''वैज्ञानिक शोध' (Scientific Research) कहते हैं। ऐसे शोध में किसी समस्या या प्रश्न का क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ ढंग से समाधन खोजा जाता है।

'अनुसंधान' शब्द का अर्थ है- सब दिशाओं में जाना अथवा खोज करना। अनुसंधान को अंग्रेजी में 'Research' कहते है, जो दो शब्दों- 'Re' व 'Search' से मिलकर बना है। यहाँ 'Re' का अर्थ है बार-बार और 'Search' का अर्थ है- खोज करना या अन्वेषण करना। अत: खोज की पुनरावृत्ति ही 'अनुसंधान' है। अज्ञात विषयों-घटनाओं के बारे में अन्वेषण करना मानव-स्वभाव का अभिन्न अंग रहा है।

वैज्ञानिक अनुसंधान को विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार है-

1. करलिंगर (1986) के अनुसार-

"स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, आनुभविक और आलोचनात्मक अन्वेषण- जो घटनाओं के बीच कल्पित सम्बंधों के सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होती है- को वैज्ञानिक अनुसंधान कहा जाता है।"

2- बेस्ट और काहन (1992) के अनुसार-

"(वैज्ञानिक) अनुसंधान किसी नियंत्रित प्रेक्षण (Controlled Observation) का क्रमबद्ध व वस्तुनिष्ठ अभिलेख और विश्लेषण है, जिसके आधार पर सामान्यीकरण, नियम या सिद्धांत विकसित किया जाता है तथा जिससे बहुत सारी घटनाओं, जो किसी खास प्रक्रिया का परिणाम या कारण हो सकती है, को नियंत्रित कर उनके बारे में पूर्व कथन किया जाता है।

3- पी0एम0कुकु के अनुसार -

"अनुसंधान एक ऐसा निरपेक्ष, व्यापक और बौद्धिक अन्वेषण है जिसमें एक दी हुई समस्या से सम्बन्धित तथ्यों और उनमें अर्थों अथवा सम्बंधों का अध्ययन किया जाता है।।"

4- सी0सी0 क्रोफोर्ड के अनुसार-

"अनुसंधान चिंतन की एक ऐसी क्रमबद्ध और विशुद्ध प्रविधि है, जिसमें विशिष्ट यंत्रों, उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है, ताकि एक समस्या का अधिक समुचित समाधान उपलब्ध हो सके।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से वैज्ञानिक अनुसंधान पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। इसे स्वरूप कासबसे मूल तथ्य यह है कि इसमें एक नियंत्रित प्रेक्षण होता है और

ऐसे प्रेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कोई नया सिद्धांत (Theory) या नियम (Prinicple) विकसित किया जाता है। इसके आलावा, वैज्ञानिक अनुसंधान की निम्नवत् विशेषताएँ भी इसके स्वरूप पर अच्छी रोशनी डालती है।

a. वैज्ञानिक अनुसंधान में किसी समस्या का समाधान का एक वस्तुनिष्ठ-क्रमबद्ध (Objective-Systematic) प्रयास किया जाता है।

b. ऐसे अनुसंधान दृश्य अनुभवों (Observable experiences) पर आधारित होता है। अत: इसका आधार आनुभविक सबूत (Empirical Evidence) होता है। इसमें शोधकर्ता उन तथ्यों-नियमों पर विचार नहीं करता, जिनका वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण (Objective observation) संभव नहीं।

c. ऐसे शोध में घटनाओं या तथ्यों का प्रेक्षण (Precise observation) और परिशुद्ध वर्णन (Decorate deseription) किया जाता है। शोधकर्ता विश्वसनीय-वैध परीक्षण का प्रयौग कर आँकड़ों का संग्रह करता है और उनका सांख्यिकीय विश्लेषण करके प्राप्त परिणाम का परिशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या करता है।

d. ऐसे शोध में किसी नियम-सिद्धांत- सामान्यीकरण के विकास पर बल दिया जाता है। ऐसा करने से उन तथ्यों-चरों के बारे में पूर्वकथन (Prediction) करने में काफी मदद मिलती है, जिनका अध्ययन किया जाने वाला है।

e. ऐसे शोध की कार्यविधि (Procedure) क्रमबद्ध-वस्तुनिष्ठ-तार्किक होती है। कार्यविधि में किसी प्रकार का पक्षपात (Bias) या कोई पूर्वधारण (Prejudice) न घुसने देने की शोधकर्ता यथासंभव प्रयास करता है। इसके

लिए शोधकर्ता एक वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ अभिकल्प (Design) तैयार करता है और उसके अनुसार चरों की अत: क्रियाओं का अध्ययन कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करता है।

f. ऐसे शोध में धैर्य (Patience) की जरूरती होती है। शोधकर्ता चरों के चयन में जल्दबाजी नही करता। वह अच्छी तरह सोच-विचारकर इन चरों का चयन करता है, धैर्यपूर्वक उनसे सम्बद्ध आँकड़ों का संग्रहण करता है। और उनका विश्लेषण करता है।

g. ऐसे शोध में सुविद्वता (Expertise) की जरूरत होती है। शोधकर्ता को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सम्बद्ध समस्या पर किस प्रकार के पूर्व शोध हो चुके है और जिन आँकड़ों का वह संग्रहण करने वाला है, उसे पूरी तरह समझने विश्लेषण करने की तकनीकी क्षमता उसके पास है।

h. ऐसे शोध में प्रतिकृति (Replication) का गुण होता है। किसी पूर्व-शोध के निष्कर्ष या प्रयुक्त अभिकल्प पर किसी प्रकार का संदेह होने पर उसकी पूरी कार्य-विधि को दुहराकर प्राप्त निष्कर्ष की वैधता की जांच की जा सकती है।

i. ऐसे शोध में शोधकर्ता अपने प्राप्त परिणाम-निष्कर्ष को एक विशेष ढंग से प्रस्तुत करता है, जिससे उसके शोध को वैज्ञानिक स्वरूप की स्पष्ट झलक मिलती है। इससे पाठक को किसी प्रकार का संदेह अस्पष्टता आदि नही होता।

j. ऐसे शोध में अति साहस की भी जरूरत पड़ती है।

स्पष्ट है, वैज्ञानिक अनुसंधान में कई विशेषाएं होती है। ऐसे शोध के अभाव में किसी विषय की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है।

मानव जीवन में अनुसंधान आवश्यक है इसके बिना मानव-ज्ञान की किसी भी शाखा में विकास प्रगति संभव नही। अनुसंधान की आवश्यकता इसके निम्नवत् लाभों (या महन्ता) के कारण मानी जाती है।[1]

a. अनुसंधान मानव के ज्ञान भण्डार को विस्तृत करता है।

b. अनुसंधान विभिन्न विज्ञानों की प्रगति की शक्तिशाली कुन्जी है।

c. अनुसंधान व्यावहारिक समस्याओं के समाधान का एक प्रबल यंत्र है।

d. अनुसंधान प्रशासक का मार्गदर्शक (Guide) है।

e. अनुसंधान पूर्वाग्रहों के निदान-निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

f. अनुसंधान से मानव-व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है।

अनुसंधान का वर्गीकरण करना एक दुष्कर कार्य है। विभिन्न पुस्तकों में कई वर्गीकरण अलग-अलग ढंग से प्रस्तावित किए गए है फिर भी बेस्ट और काहन (1992) द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण सबसे उत्तम माना जा सकता है। इसे वर्गीकरण की एक कसौटी मानते हुए अनुसंधान को तीन प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है-

1. ऐतिहासिक अनुसंधान (Historical Research), बीती घटनाओं से सम्बद्ध

[1] कपिल, डॉ0 एच0के. 2007 (तेरहवाँ संस्करण), अनुसंधान विधियाँ (व्यावहारिक विज्ञानों में), पे0नं0 22-23

2. विवरणात्मक अनुसंधान (Descriptive Research) वर्तमान घटनाओं से सम्बद्ध। इसे अप्रयोगात्मक या सहसंबंधात्मक अनुसंधान (Non-expreimental or co-relational research) भी कहते हैं।

3. प्रयोगात्मक अनुसंधान (Experimental Research) चरों को नियंत्रित करने और उसका परिचालन करने के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।

शोधकर्ता ने अपनी लद्यु-शोध-समस्या- **"माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव"** के अध्ययन के लिए 'सर्वेक्षण अनुसंधान' (Bunney Research) का चयन किया है, जो विवरणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार है। 'सर्वेक्षण' शब्द का अर्थ होता है - ऊपर से देखना, अवलोकन करना या अन्वेषण करना। एफ0एम0 करलिंगर ने सर्वेक्षण अनुसंधान को इस प्रकार परिभाषित किया है-

"सर्वेक्षण अनुसंधान सामाजिक वैज्ञानिक अन्वेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यापक और कम आकार वाली जनसंख्याओं (या समाष्टियों) का अध्ययन उनमें से चयनित प्रतिदर्शों के आधार पर इस आशय से किया जाता है, ताकि उनमें व्याप्त सामाजिक व मनोवैज्ञानिक चरों का घटनाक्रमों, वितरणों और पारस्परिक अत:सम्बंधों का ज्ञान उपलब्ध हो सके।"

स्पष्ट है, सर्वेक्षण अनुसंधान का आधार सम्बद्ध समष्टि का प्रतिदर्श होता है और प्रतिदर्श का आधार सम्भाव्य सिद्धांत (Probability Theory) या यादृच्छिक प्रतिचयन (Random Sampling) होता है। व्यावहारिक विज्ञानों में सर्वेक्षण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक मितव्ययी शोध-विधि है। इससे प्राप्त सूचनाओं की गुणवत्ता अधिक होती है। इसका अंतर विषयक मूल्य (Inter-diseiplinary values) भी है। यद्यपि इसमें कुछ अवगुण भी हैं, तथापि

व्यावहारिक विज्ञान में यह एक प्रमुख शोध-प्रविधि है। आज इसका प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है।

सर्वेक्षण अनुसंधान का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है जैसे- विषय-सामग्री, उद्देश्य व आँकड़ा-संग्रहण की विधियाँ। सर्वेक्षण के इन आधारों पर सर्वेक्षण अनुसंधान की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार है-

a. जनसंख्यात्मक सर्वेक्षण (Demographic Survey)

b. सामाजिक पर्यावरण सम्बंधी सर्वेक्षण,

c. सामाजिक क्रियाओं से सम्बंधित सर्वेक्षण,

d. विचार-अभिव्यक्ति सम्बंधी सर्वेक्षण,

e. मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण (Evlauative Survey),

f. प्रसांगिक सर्वेक्षण (Thematic Survey)

g. कार्य-विश्लेषण सम्बंधी सर्वेक्षण (Job Analysis Survey),

h. सहकारी सर्वेक्षण (Copperative Survey)

i. व्याख्यात्मक सर्वेक्षण (Explanatery Survey),

j. अभिवृत्ति सर्वेक्षण (Attitude Survey),

k. उपनति सर्वेक्षण (Trend Survey),

l. विद्यालय सर्वेक्षण (School Survey),

m. प्रलेखी सर्वेक्षण (Documentary Survey),

n. अनुवर्ती सर्वेक्षण (Follow-up Survey),

o. मूल्यांकन सर्वेक्षण (Appraisal Survey),

p. साक्षात्कार सर्वेक्षण (Interview Survey),

q. डाक सर्वेक्षण (Mial Survey),

r. सामाजिक सर्वेक्षण (Panel Survey),

s. दूरभाष सर्वेक्षण (Telephone Survey),

t. नियंत्रित प्रेक्षण सर्वेक्षण (Controlled observation Survey),

u. सामान्य व विशिष्ट सर्वेक्षण,

v. नियमित व यथावत सर्वेक्षण,

w. अंतिम व आवृत्ति पूर्ण सर्वेक्षण और

x. संगणना व प्रतिदर्श सर्वेक्षण

स्पष्ट है, सर्वेक्षण के कई रूप है इनमें दो साक्षात्कार सर्वेक्षण और डाक सर्वेक्षण का प्रयोग सर्वाधिक होता है। अधिकतर शोधकर्ता इन दोनों तरह की प्रविधि का उपयोग एक साथ मिलाकर करते है इससे उनके द्वारा प्राप्त परिणाम की बाह्य वैधता (Extornal validity) बनी रहती है।

शोधकर्ता ने अपने लघु शोध-अध्ययन के लिए सर्वेक्षण की उपर्युक्त प्रविधियों में से 'साक्षात्कार सर्वेक्षण' का चयन किया इसके लिए शोधकर्ता ने एक 'निरीक्षण अनुसूची' (observation schedule) और एक 'प्रश्नावली' (Question) का प्रयोग किया है।

'साक्षात्कार सर्वेक्षण' (Interview Survey), सर्वेक्षण अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। यह एक आमने-सामने की परिस्थिति है, जिसमें भेंटकर्ता (Interviewer) शोध-विषय के बारे में प्रत्यर्थी (Respondent) की मनोवृत्ति-मत को प्रश्नों के माध्यम से ज्ञात करता है। कैनेल-काह्न (1986) सर्वेक्षण की इस प्रविधि की सफलता के लिए तीन बात को अनिवार्य मानते है- अधिगमन (Accessibility) संज्ञान (Cognition) व प्रेरणा (Motivation)। इसके अलावा, इस प्रविधि की सफलता बहुत कम भेंटकर्ता (साक्षात्कर्ता) के व्यक्तितत्व पर भी निर्भर करती है। इस प्रविधि में पूर्वाग्रह पक्षपात की पूरी संभावना रहती है और यह अत्याधिक श्रम-धन साध्य है। तथापि, यही एक ऐसी प्रविधि है, जिसके माध्यम से अत्याधिक विस्तृत-गहन जानकारी मिलती है।

करलिंगर के विचार में, सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए सर्वप्रथम एक निश्चित योजना (Flow-plan) बनानी होती है। इस योजना के अंतर्गत अनुसंधान-कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा (Blue-print) रची जाती है। उस रूपरेखा के मुख्यत: 6 चरण होते हैं, जो इस प्रकार है-

Q.1 शोध-समस्या को निश्चित स्पष्ट रूप प्रदान करना-

a. समस्या का स्पष्टीकरण,

b. समस्या के उद्देश्यों का निर्माण,

c. समस्या के अध्ययन हेतु उपयुक्त यंत्र का चयन (जैसे-साक्षात्कार अनुसूची, डाक प्रश्नावली आदि) और

d. अनुसंधान प्रतिमान (Research Paradigm) की रचना।

Q.2 प्रतिचयन योजना (Sampling Plan)-

a. समाष्टि के स्वरूप को सीमाबद्ध करना,

b. प्रतिचयन की व्याख्या और,

c. यादृच्छिक प्रतिदर्श के उपयोग का महत्व।

Q.3 साक्षात्कार अनुसूची व डाक अनुसूची की रचना-

Q.4 आँकड़ों का संकलन (Date Collection)-

a. घटनास्थल पर अध्ययन,

b. क्रमबद्ध रूप से क्षेत्र-कार्यकर्ताओं के अध्ययन की जांच करना और ,

c. असहयोगी उत्तरदाताओं से सम्पर्क करना।

Q.5 प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण-

a. अनुक्रियाओं का संकेतीकरण (Coding),

b. अंतर्वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) और

c. अनुक्रियाओं का सारणीयन (Tabulation)

Q.6 प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण (Presenting the Report)-

3.1 प्रतिदर्शनों का चयनः-

शोध-विषयों में विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय संप्रत्ययों (Statistical concepts) का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। उन्हीं में से दो प्रमुख संप्रत्यय है- जनसंख्या और प्रतिदर्श। जनसंख्या को 'जीव-संख्या और 'प्रतिदर्श को न्यादर्श' भी कहते है। जनसंख्या का एक अन्य प्रचलित नाम 'समष्टि' (Universe) भी है।

सांख्यिकी (Statistics) में 'जीवसंख्या' से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है, जिसे शोधकर्ता अपने शोध-संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और उसकी पहचान करके रखता है। विद्वानों ने जीवसंख्या को इस प्रकार परिभाषित किया है।

01. लिण्डक्विस्ट (Lindquist, 1970) के अनुसार-

"जीवसंख्या व्यक्तियों या प्रेक्षणों (observation) का एक ऐसा समूह है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है।

02. करलिंगर (1984) के अनुसार-

"जीवसंख्या से तात्पर्य वस्तुओं, घटनाओं और लोगों के किसी भी अच्छे ढंग से परिभाषित वर्ग के सभी सदस्यों से होता है।"

स्पष्ट है, सांख्यिकीय अर्थ में जीवसंख्या का अर्थ व्यक्तियों के अलावा किसी भी तरह की वस्तुओं (Objects) या सदस्यों (Members) से होता है पुस्तकालय में किताबों की संख्या, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या, शहर में डॉक्टरों की संख्या आदि - ये सभी जीवसंख्या के उदाहरण है।

जीवसंख्या आमान्यताया दो तरह का होता है-

1. परिमित जीवसंख्या (Finite Population) और
2. अपरिमित जीवसंख्या (Infinite Population)

'परिमित जीवसंख्या' वह जीवसंख्या है, जिसके सदस्यों की गिनती की जा सकती है। 'अपरिमित जीवसंख्या' उस जीवसंख्या को कहते है, जिसके सदस्यों की गिनती नहीं की जा सकती। विश्वविद्यालय शिक्षकों का समूह एक परिमित जीवसंख्या का उदाहरण है, जबकि नदी में मछलियों की संख्या एक अपरिमित

जीवसंख्या का मनोवैज्ञानिक शैक्षिक शोधों में परिमित जीवसंख्या का ही प्रयोग अधिक किया जाता है।

कुछ विशेषज्ञों के विचार में, जीवसंख्या को वास्तविक (Real) या कल्पनात्मक (Imaginative) जैसी श्रेणियों में भी बाँटा जा सकता है। 'वास्तविक जीवसंख्या (Real Population) से तात्पर्य वैसी जीवसंख्या से है, जिसका अस्तित्व वास्तव में होता है, 'काल्पनिक जीवसंख्या' (Imaginative Population) से तात्पर्य वैसी जीवसंख्या से है, जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। पुस्तकालय में किताबों की सम्पूर्ण संख्या एक वास्तविक जीवसंख्या का उदाहरण है। भूत-प्रेतों की सम्पूर्ण संख्या का काल्पनिक जीवसंख्या का उदाहरण है।

'प्रतिदर्श' जीवसंख्या से चुनी गई वह संख्या है, जो जीवसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरणस्वरूप- किसी विश्वविद्यालय के 10 हजार छात्रों के सम्पूर्ण जीवसंख्या से यदि 1000 छात्रों को चुना जाता है, तो चुने गये 1000 छात्रों का यह समूह एक प्रतिदर्श का उदाहरण होगा। जीवसंख्या का सही-सही प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिदर्श का चयन निष्पक्ष भाव से करना आवश्यक है।

जीवसंख्या का अध्ययन- बिना प्रतिदर्श चुने- सीधे भी किया जा सकता है। ऐसा अध्ययन उन परिस्थिति में अधिक उपयुक्त होता है, जहाँ जीवसंख्या सदस्यों की संख्या कम होती है। किसी जीवसंख्या के सीधे अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त 'सांख्यिकीय मान' (Statistical Value) को 'प्राचल' (Parameter) कहा जाता है, परन्तु प्रतिदर्श के अध्ययनके फलस्वरूप प्राप्त सांख्यिकीयमान को 'सांख्यिकी' (Staticties) कहा जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन- ''माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन'' के लिए शोधकर्ता ने फैजाबाद जनपद के 6 माध्यमिक विद्यालयों (3 सहायता प्राप्त 3 गैर सहायता प्राप्त) में से प्रत्येक से 30-30 विद्यार्थियों का चयन किया। इस प्रकार प्रतिदर्श का आकार 180 विद्यार्थी का रहा। शोधकर्ता ने माध्यमिक विद्यालयों और प्रतिदर्श का चयन 'यादृच्छिक ढंग' से स्वरूप का आधार 'यादृच्छिक प्रतिचयन' (Random Sampling) ही होता है। यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर ही एक समष्टि से सम्बंधित वैध (Valid) निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

3.2 उपकरण का चयन :-

व्यवहारपरक विज्ञानों में शोध-समस्या के वैज्ञानिक अध्ययन और उससे सम्बद्ध महत्वपूर्ण तथ्यों-आँकड़ों के संग्रह के लिए एक उपयुक्त विधि (Method) या उपकरण (Tolls) का होना अतिआवश्यक है। ऐसी विविध विधियों का प्रतिपादन किया गया है। शोधकर्ता ने अपने लघु शोध-अध्ययन के लिए अपनी शोध-निर्देशिका के सक्रिय सहयोग से दो उपकरणों- निरीक्षण अनुसूची (Observation Schedule) व प्रश्नावली (Questionnarie) का चयन और निर्माण किया।

'निरीक्षण अनुसूची' में विद्यालयय के भौतिक मानवीय संसाधनों से सम्बद्ध मूलत: कुल 31 पद (Items) रखे गये थे, जो बहुविकल्पीय प्रकार के थे। शोधकर्ता ने अपनी शोध निर्देशिका की सलाह पर पदों की संख्या घटाकर 30 कर दी। इसी प्रकार प्रश्नावली में माध्यमिक स्तर के विविध विषयों (हिन्दी-15, अंग्रेजी-10, गणित-10, विज्ञान-20, इतिहास-10, भूगोल-10, संविधान-11,

कृषि-05, पशुपालनप-06) से सम्बद्ध मूलतः कुल 97 प्रश्न रखे गये थे, जो बहु विकल्पी प्रकार के थे। शोधकर्ता ने अपनी शोध-निर्देशिका के निर्देश पर कृषि व पशुपालन से सम्बद्ध प्रश्नों को प्रश्नावली से बाहर कर दिया और प्रश्नों की संख्या घटाकर 50 कर दी (हिन्दी-10, अंग्रेजी-06, गणित-07, विज्ञान-11, इतिहास-07, भूगोल-09,)। इस प्रश्नावली द्वारा विद्यार्थियों माध्यमिक स्तर के विविध विषयों में सामान्य शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करना था।

किसी भी सर्वेक्षण अनुसंधान का एक प्रमुख चरण होता है। प्रदत्तों का संकलन। शोधकर्ता ने अपने लघुशोध-अध्ययन से सम्बद्ध प्रदत्तों के आकलन के लिए फैजाबाद मण्डल के फैजाबाद जनपद के 6 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया। इनमें से 3 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालया और 3 गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय थे। सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयय ग्रामीण क्षेत्र में। शोधकर्ता ने सर्वप्रथम प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलकर उन्हें अपने लघु-शोध अध्ययन और उसके उद्देश्य के बारे में बतलाया तथा इस कार्य मे आवश्यक सहयोग देने की प्रार्थना की। सम्बद्ध विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुमति मिलने के पश्चात् शोधकर्ता ने प्रदत्तो के संकलन का कार्य आरम्भ किया। शोधकर्ता ने यह कार्य 'निरीक्षण अनुसूची' और 'प्रश्नावली' की सहायता से किया। निरीक्षण अनुसूची को सम्बद्ध माध्यमिक विद्यालय के ऑफिस क्लर्क से भरवाया गया तथा प्रश्नावली को ''शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण' के रूप में विद्यार्थियों पर प्रशासित कर आँकड़े एकत्र किए गए।

3.3 प्रदत्तों का संकलन :-

प्रस्तुत शोध-अध्ययन हेतु प्रदत्तों के संकलन के लिए शोधकर्ता ने एक निरीक्षण अनुसूची (Observation Schedule) और एक प्रश्नावली (Questionnaire) का स्वयं निर्माण किया। निरीक्षण अनुसूची द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के भौतिक मानवीय संसाधनों से सम्बद्ध आँकड़े एकत्रित किए गए और प्रश्नावली द्वारा उनके विद्यार्थियों का शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण कर उनकी शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की गई।

निरीक्षण अनुसूची में कुल 30 पद (Items) रखे गए थे और इसको प्रत्येक विद्यालय के ऑफिस क्लर्क से भरवाया गया। जबकि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण हेतु तैयार की प्रश्नावली में कुल 50 प्रश्न रखे गए थे और इनका स्वरूप ऐसा रखा गया था, जिससे कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी उनका उत्तर दे सकें। ये सभी प्रश्न बहुविकल्पी (Multiple Choice) प्रकार के थे, जिनके 4-4 विकल्प रखे गये थे। इनमें से एक विकल्प सम्बद्ध प्रश्न का सही उत्तर था और सही उत्तर का चयन कर उसे उत्तर-पत्रक पर सही चिन्ह (✓) द्वारा दर्शाना था। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक रखा गया था, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाना था। प्रश्नावली प्रशासन का समय 1 घंटा और कुल अंक 50 रखा गया था।

शोधकर्ता ने जिन 6 माध्यमिक विद्यालयों का सर्वेक्षण किया उनमें से तीनों अर्ध-सरकारी माध्यमिक विद्यालय फैजाबाद शहर में स्थित है। और तीनों गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में। शोधकर्ता ने सर्वप्रथम प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलकर अपने शोध-अध्ययन के लिए

अनुमति प्राप्त की और तत्पश्चात् सम्बद्ध विद्यालय के विद्यार्थियों (कक्षा 9 व कक्षा 10 के - प्रत्येक कक्षा से 15-15 विद्यार्थी) को 'शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण' के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने धैर्य शांति-अनुशासन के साथ शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण को दिया और शोधकर्ता की शिक्षा-अध्ययन-प्रतियोगिता सम्बन्धी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुना व प्रतिक्रिया व्यक्त की। यद्यपि अधिकतर विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के लक्ष्य का पता नहीं था, तथापि वे अच्छी गुणवत्तापूर्ण उपयोगी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लालायित उत्सुक दिखें।

कुल
प्रतिदर्श
(180)

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय	गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय
Q.1 आदर्श इण्टर कालेज फैजाबाद	Q.1 बलदेव बालिका इण्टर कालेज शाहगंज, फैजाबाद
Q.2 फोर्ब्स इण्टर कालेज फैजाबाद	Q.2 ज्ञानदीप इण्टर कालेज, फैजाबाद
Q.1 मनोहरलाल, मोतीलाल, इण्टर कालेज फैजाबाद	Q.3 आर0पी0, बी0पी0 शुक्ला इण्टर कालेज, मिल्कीपुर, फैजाबाद

3.4 परीक्षण का प्रशासन :-

शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण के प्रशासन के लिए शोधकर्ता ने प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के कक्षा-अध्यापक (कक्षा 9 और कक्षा 10 के) से मिलकर आवश्यक सहयोग प्राप्त किया और उसके बाद एक कमरे में बैठे यादृच्छिक ढंग से चयनित विद्यार्थियों (कक्षा 9 व 10 से 15-15) के सामने शोधकर्ता उपस्थित

हुआ। शोधकर्ता ने विद्यार्थियों को शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया और उन्हें निम्नवत् निर्देश दिए-

a. प्रश्नावली में कुल 50 प्रश्न है। प्रत्येक के 1 अंक है। कुल अंक 50 है।

b. सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के है। प्रत्येक के 4 विकल्प हैं।

c. प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक प्रश्न का सही उत्तर है।

d. सही उत्तर का चयन कर उसे उत्तर-पत्रक में 'सही चिन्ह' (✓) द्वारा अंकित करना है।

e. सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किया जाएगा।

f. गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं प्रदान किया जाएगा और नहीं कोई अंक काटा जाएगा।

g. सभी प्रश्नों को अधिकतम 1 घण्टा में हल करना है।

h. प्रश्नों को हल करते समय अवांछित साधनों का प्रयोग नहीं करना है जैसे- बातचीत, नकल आदि।

i. प्रश्नों को हल करने के पश्चात् प्रश्नावली और उत्तर-पत्रक दोनों को परीक्षक (शोधकर्ता) को वापस कर देना है।

प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने शोधकर्ता के निर्देश को ध्यानपूर्वक सुना और शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण को धैर्य-शांति-अनुशांसन के साथ दिया। उन्होंने शोधकर्ता के साथ पूरा सहयोग किया और शोधकर्ता की शिक्षा-अध्ययन-प्रतियोगिता परीक्षा सम्बंधी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुनकर उनके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्ति की यद्यपि अधिकतर विद्यार्थियों को

अपनी शिक्षा के लक्ष्य का पता नही था तथापि अच्छी गुणवत्तापूर्ण-उपयोगी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनमें उत्सुकता ललक दिखी।

3.5 अंकीकरण :-

शोधकर्ता ने निरीक्षण अनुसूची से प्राप्त आँकड़ों और शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण के प्रशासन से प्राप्त प्राप्तांको का सावधानीपूर्वक अंकन किया शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण की प्रश्नावली से सम्बद्ध उत्तर पत्रक की जांच कर प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक प्रदान किया गया, जबकि गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटा नहीं गया। कुल प्रश्नों (50) के 50 अंकों की दृष्टि से अंकीकरण किया गया। सभी आँकड़ों प्राप्तांको को विभिन्न सारणियों (Tables) में व्यवस्थित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

क्र.सं.	पद संख्या व पद–नाम	सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय			गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय		
		आदर्श इ0टर कालेज	फोर्ब्स इण्टर कालेज	मनोहर लाल मोती लाल इण्टर कालेज	बलदेव बालिका इण्टर कालेज	ज्ञानदीप इण्टर कालेज	आर0पी0 वी0पी0 शुक्ला इण्टर कालेज
1-	कमरों की संख्या	15 से अधिक	15 से अधिक	15 से अधिक	15 से अधिक	15 से अधिक	11 से 15
2-	अध्यापक–संख्या	15 से अधिक	15 से अधिक	18 से अधिक		18 से अधिक	13
3-	प्रशिक्षित अध्यापक संख्या	15 से अधिक	15 से अधिक	15 से अधिक	5	15 से अधिक	5
4-	शिक्षणेत्तर कर्मचारी संख्या	15 से अधिक	15 से अधिक	12 से अधिक	4 से 6	4 से 6	4 से 6
5-	खेल–संख्या। जिनकी व्यवस्था है।	15 से अधिक	15 से अधिक	3 से अधिक	3	3	3
6-	ब्लैक बोर्ड सुविधा से युक्त कक्षाएँ	15 से अधिक	15 से अधिक	15 से अधिक	15 से अधिक	15 से अधिक	.11 से 15
7-	पर्याप्त फर्नीचर से	15 से अधिक	15 से अधिक	15 से अधिक	6 से 10	15 से अधिक	15

	फर्नीचर से युक्त कक्षाएँ	अधिक					
8-	मनाए जाने वाले राष्ट्रीयश पर्वो की संख्या	5 से अधिक	5 से अधिक	3	5	5 से अधिक	4
9-	ायोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संख्या	4 से अधिक	4 से अधिक	4 से अधिक	2	4	4
10-	शिक्षक अभिभावक संघ का गठन	किया गया है	नहीं किया गया है	किया गया है	नहीं किया गया है	किया गया है	किया गया है
11-	शिक्षक अभिभावक संघ की प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली बैठकों की संख्या	प्रतिमाह	–		–	प्रतिमाह	3
12-	शैक्षिक–व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था	है	है	नहीं है	न हीं है	नहीं है	नहीं है
13-	शैक्षिक पर्यटन की व्यवस्था	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
14-	स्काउट व गाइड का प्रशिक्षण	दिया जाता है	दिया जाता है	दिया जाता है	दिया जाता है	दिया जाता है	दिया जाता है
15-	राष्ट्रीय सेवा योजना का आयोजन	नहीं किया जाता है	नहीं किया जाता है	नहीं किया जाता है	नहीं किया जाता है	नहीं किया जाता है	नहीं किया जाता है
16-	नेशनल कैडेट कोर का प्रशिक्षण	नहीं किया जाता है	नहीं किया जाता है	नहीं किया जाता है	नहीं किया जाता है	नहीं किया जाता है	नहीं किया जाता है
17-	शौचालय की व्यवस्था	है	है	है	है	है	है
18-	बालक–बालिकाओं के लिए	है	नही है	नही है	न ही है	नही है	नही है

	अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था						
19-	खेल मैदान	है	है	है	है	है	है
20-	मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार	दिया जाता है	दिया जाता है	दिया जाता है	दि या जाता है	दिया जाता है	दिया जाता है
21-	लाइब्रेरी	है	है	है	है	है	है
22-	विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	दी जाती है	दी जाती है	दी जाती है	दी जाती है	दी जाती है	दी जाती है
23-	आर्थिक स्रोत	सरकारी अनुदान	सरकारी अनुदान	सरकारी अनुदान	फ ीस	फीस	फीस
24-	अध्यापकों शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के नियमित वेतन	मिलता है	मिल ता है	मिलता है	मि लता है	मिलता है	मिलता है
25-	विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए शिक्षा व्यवस्था	है	है	है	है	है	है
26-	शिक्षकों– विद्यार्थियों की उपस्थिति	नियमित है	नियमित है	नियमित है	नियमित है	नियमित है	नियमित है
27-	चिकित्सकीय निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है
28-	विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित	किया जाता है	किया जाता है	किया जाता है	किया जाता है	किया जाता है	किया जाता है
29-	विद्यार्थी संख्या	2500–3000	1501 –2500	1501–2500	501–1500	500 से कम	500 से कम
30-	प्रयोगशाला और उसमें पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था	है	है	है	न हीं है	है	नहीं है

निरीक्षण अनुसूची से प्राप्त आँकड़ों का आवृत्ति वितरण: पदवार व विकल्पवार

सारणी (Table) – 02

पद संख्या	विकल्पवार टैली				विकल्पवार आवृत्ति			
	a	b	c	d	a	b	c	d
1.			I	II III	0	0	1	5
2.		I	II	II I	0	1	2	3
3.	II			II II	2	0	0	4
4.	II I			II I	3	0	0	3
5.			II I	II I	0	0	3	3
6.			I	II III	0	0	1	5
7.		I	I	II II	0	1	1	4
8.	I	I	I	II I	1	1	1	3
9.	I		II	II I	1	0	2	3
10.	II II	II			4	2	0	0

11.	I	I	II	II	1	1	2	2
12.	II	II II			2	4	0	0
13.		II IIII			0	6	0	0
14.	II I	II I			3	3	0	0
15.	I	II III			1	5	0	0
16.	I	II III			1	5	0	0
17.	II IIII				6	0	0	0
18.	II	II II			2	4	0	0
19.	II I	II I			6	0	0	0
20.	II I	II I			6	0	0	0
21.	II II	II			4	2	0	0
22.	II III				6	0	0	0
23.	II I		II I		3	0	3	0

24.	II IIIII				6	0	0	0
25.	I	II III			1	5	0	0
26.	II IIII				6	0	0	0
27.	II	II II			2	4	0	0
28.	II	II II			2	4	0	0
29.	II	I	II	I	2	1	2	1
30.	II II	II			4	2	0	0

नोटः– नीला चिन्ह– सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए

लाल चिन्ह - गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए

शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण पर 180 विद्यार्थियों के प्राप्तांक
(अवरोही क्रम में)
सारणी (Table) - 03

विद्यार्थियो का क्रमांक	सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय			गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय		
	आदर्श इण्टर कालेज	फोर्ब्स इण्टर कालेज	मनोहर लाल मोतीलाल इण्टर कालेज	बलदेव बालिका इण्टर कालेज	ज्ञानदीप इण्टर कालेज	आर०पी० बी०पी० इण्टर कालेज
1.	43	41	42	41	28	35
2.	42	40	42	41	27	35
3.	40	39	41	41	27	32
4.	36	39	39	40	24	32
5.	36	38	38	40	24	31
6.	35	37	38	40	23	31
7.	35	37	38	40	23	28
8.	34	33	37	40	23	28
9.	32	32	37	39	20	27
10.	31	29	36	39	20	37
11.	30	28	36	39	20	26
12.	29	28	35	38	18	26
13.	29	27	34	38	17	25
14.	38	27	34	38	17	24

15.	38	27	33	37	16	24
16.	27	27	31	36	16	24
17.	26	27	30	36	16	23
18.	25	26	29	36	16	23
19.	25	25	28	35	16	21
20.	25	25	27	35	16	21
21.	24	24	27	35	16	21
22.	23	23	27	34	15	20
23.	22	23	27	32	15	19
24.	21	23	26	32	15	19
25.	21	23	26	32	14	19
26.	21	22	25	31	13	17
27.	19	22	25	31	13	17
28.	19	22	25	31	13	17
29.	19	20	25	31	8	16
30.	17	19	25	30	8	14
	842+853+963 = 2658			1088+537+722= 2347		

शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण पर 180 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का आवृत्ति विवरण

सारणी (Table) - 04

वर्ग	सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालय		गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय	
	टैली	आवृत्ति (f)	टैली	आवृत्ति (f)
40-44		08		08
35-39		18		15
30-34		11		13
25-29		35		10
20-24		15		17
15-19		05		20
10-14		-		05
05-09		-		02
i = 5		90(N)		90(N)

3.6 प्रयुक्त सांख्यिकीय :-

प्रस्तुत शोध-अध्ययन में प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण-व्याख्या के लिए शोधकर्ता ने 'दण्ड आरे' (Bar Diagram) दण्डाकृति (Histogram) और 'सामान्य औसत' (General Average)

$$\text{सामान्य औसत} = \frac{\text{विद्यार्थियों के प्राप्तांको का प्रयोग } (\Sigma M)}{\text{विद्यार्थियों की कुल संख्या } (N)}$$

अर्थात् $$GA = \frac{(\Sigma M)}{N}$$

जहाँ,

Σ= योग का चिह्न

M= प्रत्येक विद्यार्थियों का प्राप्तांक

N= विद्यार्थियों की कुल संख्या

*****

चतुर्थ अध्याय

आँकड़ों का विश्लेषण और विवेचना

आँकड़ों का विश्लेषण और विवेचन

किसी भी शोध-अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। प्राप्त आँकड़ों का सांख्यिकीय प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण और विवेचन। इसके लिए सर्वप्रथम मूल आँकड़ों (Raw Seoner) को 'आवृत्ति वितरण' (Prequency Distribution) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे उनके माध्यों (Averages: मध्यमान, माध्यांको व बहुलांक) को ज्ञात करने में सुविधा होती है। प्राप्त माध्यों के आधार पर सम्बंधित चरों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और विभिन्न समूहों में विचलनशीलता (Variability) की माप की जाती है। विचलनशीलता की प्रमुख मापें हैं- प्रसार (Range), चतुर्थांश विचलन (Quartile Deveiation), मध्यमान विचलन (Mean Deviation) और मानक विचलन (Standard Deviation)। मध्यमान (Mean) और मानक विचलन के आधार पर दो समूहों के मध्यमानों में अंतर की सार्थकता की जांच टी-परीक्षण (t-test) द्वारा की जाती है। जब समूह 3 या 3 से अधिक हो, तो मध्यमान- अंतरों की जांच 'प्रसरण विश्लेषण' (Anova) द्वारा की जाती है।

प्राप्त आँकड़ों के अंतरों की सार्थकता की जांच के अलावा उनमें पारस्परिक सम्बंध भी ज्ञात किया जाता है। इसके लिए 'सह सम्बंध गुणांक' (Co-efficient of Co-rrelation-r) की गणना की जाती है। इसके लिए कभी-कभी 'प्रकीर्ण आरेख' (Scatter Diagraim) का भी प्रयोग किया जाता है।

आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण में 'आलेखीय निरूपण' (Graphical Presentation) का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इससे आँकड़ें सख्तीपूर्वक बोधगम्य बन जाते है। इसके लिए उन्हें प्रोफाइल (Profile) और सूचकांकों (Indices) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इससे आवश्यक सूचना संकेत के रूप में स्पष्ट हो जाती

है, जिससे वैज्ञानिक विश्लेषण-विवेचना में बहुत सहायता मिलती है। इसीलिए मूल आँकड़ों की अपेक्षा सूचकांको को शोधकर्ताओं द्वारा तरहीज दी जाती है।

शोध-अध्ययन से सम्बद्ध आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण-विश्लेषण के पश्चात् उनके विवेचन की प्रक्रिया आरम्भ होती है। विवेचन (Interpretation) के द्वारा शोध-समस्या का उत्तर प्राप्त किया जाता है। करलिंगर के अनुसार, विवेचना के अंतर्गत विश्लेषण (Analysis) के परिणामों को लिया जाता है। इसके द्वारा शोध के अंतर्गत प्राप्त सम्बंधों का तर्कसंगत आधार पर अनुमान लगाए जाते है और अध्ययन से सम्बन्धित सम्बंधों के बारे में निष्कर्ष (Inferences) ज्ञात किए जाते है।

विवेचना की पर्याप्तता के लिए अनुसंधान+अभिकल्प (Research Design), विधितंत्र (Methodology), परिमापन-परिमापन और विश्लेषण के अन्य चरणों का पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त रहना आवश्यक है। यहाँ विवेचन भाषा का स्वरूप सदैव प्रतिबंधात्मक (Conditional) रहता है जैसे यदि pहै, ... तो q है।)।

प्रस्तुत शोध अध्ययन की समस्या के समाधान के लिए शोधकर्ता ने निर्मित दो उपकरणों (Tolls) का प्रयोग किया। ये उपकरण थे- निरीक्षण अनुसूची (observation Schedue) और प्रश्नवली (Questionnaire)। इनसे प्राप्त आँकड़ों को विभिन्न सारणियों (Tables) में व्यवस्थित किया गया है। शोध-अध्ययन के लिए संग्रहित-व्यवस्थित आँकड़ों की व्याख्या दो दृष्टिकोणों से की गई है-

1. पदवार (Itemvise) और
2. उपकरणवार (Toolvise)

पदवार (Itemvise) व्याख्या-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त की गई निरीक्षण अनुसूची में कुल 30 पद (Item) रखे गये थे। इनके माध्यम से फैजाबाद जनपद के सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के भौतिक-मानवीय संसाधनों का अध्ययन कर शोधकर्ता ने आवश्यक आँकड़ें एकत्र किए। ये आँकड़े सारणी- में व्यवस्थित किए गए है। इन आँकड़ों की पदवार व्याख्या इस प्रकार है-

पद संख्या-01 (कमरों की संख्या):-

तीनों सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कमरों की संख्या 15 से अधिक थी। परन्तु गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में स्थिति भिन्न-भिन्न पायी गई। दो में 15 से अधिक कमरे थे, जबकि एक में 11 से 15 के बीच थी।

पद संख्या-02 (अध्यापकों की संख्या):-

सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 18 से अधिक अध्यापक थे। जबकि गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में से दो में 18-18 और एक में 13 अध्यापक थे।

पद संख्या-03 (प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या):-

सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में और एक गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 15 से अधिक प्रशिक्षित अध्यापक थे। जबकि दो गैर-सरकारी विद्यालयों में इनकी संख्या 5 थी।

पद संख्या-04 (शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या):-

सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 12 से अधिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी थे। जबकि सभी गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इनकी संख्या 4 से 6 के बीच थी।

पद संख्या - 05 (खेलों की व्यवस्था):-

तीनों सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 3 से अधिक खेलों की व्यवस्था था जबकि तीनों गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 3-3 खेलों की व्यवस्था थी।

पद संख्या- 06 (ब्लैकबोर्ड की सुविधा):-

सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की 15 से अधिक कक्षाओं में ब्लैकबोर्ड की सुविधा थी। जबकि गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में दो की 15 से अधिक कक्षाओं में ब्लैकबोर्ड था ओर एक की 11-15 कक्षाओं में यह सुविधा थी।

पद संख्या - 07 (फर्नीचर: कुर्सी, मेज, आदि की व्यवस्था):-

तीनों सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और एक गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की 15 से अधिक कक्षाओं में पर्याप्त फर्नीचर थे। जबकि दो अन्य गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की सभी कक्षाओं में पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था नहीं थी।

पद संख्या - 08 (राष्ट्रीय पर्वो का आयोजन):-

दो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और एक गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 5 से अधिक राष्ट्रीय पर्वो के आयोजन की व्यवस्था थी। जबकि शेष सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इनकी संख्या 3 से 5 के बीच थी।

पद संख्या - 09 (सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन):-

सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 4 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था थी। जबकि गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में इनकी संख्या 2 से 4 के बीच थी।

पद संख्या- 10 (शिक्षक अभिभावक संघ का गठन):-

केवल दो सहायता प्राप्त और दो गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ गठन किया गया था। शेष में यह महत्वपूर्ण संस्था अस्तित्व में नही थी।

पद संख्या - 11 (शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक):-

जिन माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संघ का गठन किया गया था, उनमें से एक सहायता-प्राप्त और एक गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में इसकी बैठक प्रतिमाह आयोजित करने की व्यवस्था थी। शेष में इसकी बैठक प्रतिवर्ष 2 से 3 बार आयोजित की जाती थी।

पद संख्या-12 (शैक्षिक-व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था):-

दो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था थी। शेष में इसकी व्यवस्था नही थी।

पद संख्या- 13 (शैक्षिक पर्यटन):-

किसी भी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षिक पर्यटन (Educational Tour) की व्यवस्था नही थी।

पद संख्या - 14 (स्काउट व गाइड का प्रशिक्षण):-

तीनों सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्काउट व गाइड के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। जबकि किसी भी गैर सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में इसकी व्यवस्था नही थी।

पद संख्या - 15 (राष्ट्रीय सेवायोजना- NSS का आयोजन)

मात्र एक गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का आयोजन किया जाता था जबकि शेष में यह व्यवस्था नही थी।

पद संख्या - 16 (नेशनल कैडेट कोर्स NCC का प्रशिक्षण)

मात्र एक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में NCC का प्रशिक्षण दिया जाता था। शेष माध्यमिक विद्यालयों में इसकी व्यवस्था नही थी।

पद संख्या - 17 (शौचालय की व्यवस्था) :-

सभी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्रापत माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधा थी।

पद संख्या - 18 (बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था):-

मात्र 1-1 सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय थे। शेष में ऐसी व्यवस्था नही थी।

पद संख्या - 19 (खेल का मैदान):-

सभी माध्यमिक विद्यालयों के पास अपना-अपना खेल मैदान था।

पद संख्या - 20 (मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन):-

दोनों स्तर के सभी माध्यमिक विद्यालयों में मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था थी।

पद संख्या - 21 (लाइब्रेरी की व्यवस्था):-

सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और एक गैर माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरी की व्यवस्था थी।

पद संख्या - 22 (छात्रवृत्ति की व्यवस्था):-

दोनों स्तर के सभी माध्यमिक विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर-विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी।

पद संख्या - 23 (आर्थिक स्रोत):-

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के आर्थिक स्रोत सरकारी अनुदान थे, तो गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के आर्थिक स्रोत छात्रों की फीस।

पद संख्या - 24 (वेतन):-

दोनों स्तर के सभी माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को नियमित वेतन मिलता था।

पद संख्या- 25 (विशिष्ट विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था):-

केवल एक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में विशिष्ट विद्यार्थियों के अलग से शिक्षा प्रदान की व्यवस्था थी। शेष माध्यमिक विद्यालयों में इसका अभाव था।

पद संख्या - 26 (उपस्थिति):-

दोनों स्तर के सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति नियमित थी।

पद संख्या - 27 (चिकित्साकीय निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था):-

केवल दो सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में चिकित्साकीय निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था थी। शेष माध्यमिक विद्यालयों में इसका अभाव था।

पद संख्या- 28 (विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रण):-

मात्र दो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया जाता था। शेष माध्यमिक विद्यालयों में इसकी व्यवस्था नही थी।

पद संख्या - 29 (विद्यार्थियों की संख्या) :-

दोनों स्तरों के माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अलग-अलग थी। गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में दो में इनकी संख्या 500 से कम थी।

पद संख्या- 30 (प्रयोगशाला और प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण):-

तीनों सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और एक गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालया में प्रयोगशाला की व्यवस्था थी जिसमें सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध थे।

निरीक्षण अनुसूची से प्राप्त आँकड़ों की पदवार व्याख्या से स्पष्ट है कि सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालय भौतिक माननीव संसाधनों की दृष्टि से अच्छी स्थिति में थे, जबकि गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अपेक्षाकृत निम्न स्थिति में थे। इस अंतर का प्रभाव इन दोनों स्तर के माध्यमिक विद्यालयों के विकास पर पड़ रहा था। जैसा कि शोधकर्ता ने प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया ओर महसूस भी किया। सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का विकास सकारात्मक था, जबकि गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का विकास नकारात्मक था।

उपकरण (Tollvise) व्याख्या:-

किसी भी स्तर के शिक्षण संसाधनों का विकास निर्भर करता है उसके भौतिक व मानवीय संसाधनों पर। इन संसाधनों की पर्याप्त और गुणवत्ता से सम्बद्ध शिक्षण संस्थान के विकास की दशा व दिशा निर्धारित होती है। इन्हीं के आधार पर उनका नाम रोशन होता है और उसके विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है।

सारणी-01 में व्यवस्थिति निरीक्षण अनुसूची से प्राप्त ऑकड़े यह बताते है कि सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालय भौतिक और मानवीय संसाधनों की दृष्टि से गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में हैं। कमरों-शिक्षकों प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या, अच्छे - पर्याप्त फर्नीचर व ब्लैकबोर्ड, खेलमैदान व लाइब्रेरी, प्रयोगशाला व उसमें आवश्यक उपकरण, खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों व राष्ट्रीय पर्वो का आयोजन, आर्थिक स्रोत आदि की दृष्टि से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी है। यही कारण है कि ऐसे विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अच्छी खासी (1500 से 3500 के बीच) है।

प्रश्नावली (Questionnaire) :-

दोनों स्तरों (सहायता प्राप्त व गैर सहायता प्राप्त) के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की सामान्य शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त प्रश्नावली से प्राप्त प्राप्तांको को सारणी (03) में व्यवस्थित किया गया है। इस सारणी की मदद से सभी माध्यमिक विद्यालयों का औसत प्राप्तांक (Average Score) और दोनों स्तरों के माध्यमिक विद्यालयों का औसत प्राप्तांक अलग-अलग ज्ञात किया गया, जो निम्न सारणी - 05 में दिए गए है।

सारणी - 05

विद्यालय स्तर	विद्यालय का नाम	प्राप्तांका का योग	विद्यार्थी-संख्या	औसत प्राप्तांक	सामान्य औसत
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय	आदर्श इण्टर कालेज (S)	0842	30	28.07	2658/90
	फोर्ब्स इण्टर कालेज (A)	0843	30	28.43	
	मनोहर लाल मोती लाल इण्टर कालेज (D)	0963	30	32.10	2953
गैर- सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय	बलदेव बालिका इण्टर कालेज **(B)**	1058	30	36.27	2347/90
	ज्ञानदीप इण्टर कालेज **(S)**	0537	30	17.20	
	आर0पी0 वी0पी0 शुक्ला इण्टर कालेज (-----)	722	30	24.07	26.08

सारणी 05 से स्पष्ट है कि मा0वि0-B का औसत प्राप्तांक सबसे अधिक (36.27) है, जबकि मा0वि0-S_1 का औसत प्राप्तांक सबसे न्यूनतम (17.90) है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में, मा0वि0-D का औसत प्राप्तांक सबसे अधिक (32.10) है, जबकि मा0वि0-S का औसत प्राप्तांक सबसे कम (28.07) है। गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में, मा0वि0-B का औसत प्राप्तांक सबसे अधिक (36.27) और मा0वि0-S_1 का औसत प्राप्तांक सबसे कम (17.90) है। जहाँ तक सामान्य औसत की बात है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का सामान्य औसत प्राप्तांक (29.53), गैर सहायता प्राप्त मा0वि0 के औसत प्राप्तांक (26.08) से अधिक है। इसके अलावा, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के औसत प्राप्तकों में मामूली अंतर है। जबकि गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के औसत प्राप्तांकों में अतंर बहुत अधिक है।

भौतिक मानवीय संसाधनों और शैक्षिक उपलब्धि में सम्बन्ध:-

निरीक्षण अनुसूची और प्रश्नावली से प्राप्त किए गए आँकड़ों और उनसे निकाले गए औसत प्राप्तांकों में स्पष्ट है कि भौतिक-मानवीय संसाधनों और शैक्षिक उपलब्धि में घनिष्ठ सम्बंध होता है। चूंकि सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इन संसाधनों की स्थिति अच्छी है, इसलिए इनकी निष्पत्ति (शैक्षिक उपलब्धि) भी अच्छी है, जो औसत रूप से 29.53 है। गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इन संसाधनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिससे इनकी निष्पत्ति (शैक्षिक उपलब्धि) प्रभावित हुई है, जो औसत रूप से 26.08 है। जहाँ तक विद्यालयवार निष्पत्ति (शैक्षिक उपलब्धि) का सम्बंध है, इस दृष्टि से भी सहायता-प्राप्त मा0 विद्यालय आगे हैं। केवल एक गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय-B इसका अपवाद माना जा सकता है, जो अपेक्षाकृत कमतर भौतिक मानवीय संसाधनों के बावजूद अच्छी निष्पत्ति (शैक्षिक उपलब्धि-36.27 सभी माध्यमिक विद्यालयों में सर्वोच्च) प्रदर्शित कर रहा है।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाओं का परीक्षण:-

परिकल्पना 01:- ''माध्यमिक स्तर के सहायता प्राप्त विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन नही है।''

सारणी-01 में व्यवस्थित आँकड़ों की व्याख्या से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के सहायता-प्राप्त विद्यालयों में पर्याप्त भौतिक-मानवीय संसाधन हैं। अत: उपर्युक्त शोध-परिकल्पना अस्वीकृत है।

परिकल्पना-02:- ''माध्यमिक स्तर गैर सहायता प्राप्त विद्यालया में पर्याप्त संसाधन नहीं है।

सारणी-01 में व्यवस्थित आँकड़ों की व्याख्या से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में भौतिक-मानवीय संसाधन अपर्याप्त है। अतः उपर्युक्त शोध-परिकल्पना अस्वीकृत है।

परिकल्पना- 03:- ''माध्यमिक स्तर के सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों का शैक्षिक उपलब्धि स्तर संतोषजनक नही है।''

सारणी-05 और लेखाचित्र -01 व लेखाचित्र-02 से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के सहायता-प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों का शैक्षिक उपलब्धि-स्तर संतोषजनक है। अतः उपर्युक्त शोध-परिकल्पना अस्वीकृत है

परिकल्पना- 04:- ''माध्यमिक स्तर के गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों का शैक्षिक उपलब्धि-स्तर संतोषजनक नहीं है।''

सारणी-05 और लेखाचित्र 01 व लेखाचित्र-02 से स्पष्ट है। कि माध्यमिक स्तर के गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों का शैक्षिक उपलब्धि स्तर असंतोषजनक है। अतः उपर्युक्त शोध-परिकल्पना स्वीकृत है।

परिकल्पना-05:- ''माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के संसाधन उनके विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि स्तर में सम्बंध नहीं है।''

सारणी-01, सारणी-03 व सारणी-05 और लेखाचित्र-01 व लेखाचित्र-02 से यह स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के विद्यालय के संसाधनों और उनके विद्यार्थियो की शैक्षिक उपलब्धि-स्तर में अत्याधिक सम्बंध है। अतः उपर्युक्त शोध-परिकल्पना अस्वीकृत है।

परिकल्पना -06:- ''शिक्षा के निजीकरण से माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नही पड़ता है।''

सारणी- 05 और लेखाचित्र-01 व लेखाचित्र-02 से यह स्पष्ट है कि शिक्षा के निजीकरण से माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रभावित हुई है, वह भी नकारात्मक रूप से अधिक प्रभावित हुई है। अत: उपर्युक्त शोध-परिकल्पना अस्वीकृत है।

*****

पंचम् अध्याय

5.0 निष्कर्ष

5.1 शैक्षिक निहितार्थ

5.2 आगामी अध्ययन हेतु सुझाव

संदर्भ-ग्रंथ सूची

5.0 निष्कर्ष :-

प्रस्तुत शोध-अध्याय के आँकड़ों के विश्लेषण-व्याख्या से शोध-समस्या-''माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन''- से सम्बद्ध महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते है। इस शोध-अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नवत् है:-

01. सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक और मानवीय संसाधन पर्याप्त अच्छी स्थिति में है।
02. और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक और मानवीय संसाधन अपर्याप्त है तथा उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है।
03. सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की निष्पत्ति अच्छी है।
04. गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की निष्पत्ति अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है।
05. प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद इसकी दशा व दिशा दोनों खराब है।
06. बदहाल माध्यमिक शिक्षा के लिए परिवार-समाज विद्यालय-सरकार सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं।
07. माध्यमिक शिक्षा की बदहाली में शिक्षा के निजीकरण की महती भूमिका है।
08. निजी शिक्षा संस्थाओं का मुख्य ध्येय लाभ कमाना है। इसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता की अपेक्षा कर दी जाती है।
09. शिक्षा की गुणवत्ता की उपेक्षा कर दी जाती है।

10. शिक्षा की रीढ़ की हड्डी टूटने से देश के भौतिक मानवीय संसाधनों की अपूर्णनीय क्षति हो रही है।

5.1 शैक्षिक निहितार्थ :-

देश की त्रिस्तरीय शिक्षा-संरचना में माध्यमिक शिक्षा का दूसरा स्तर है। शिक्षा का यह स्तर अति-महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूरी शिक्षा-व्यवसाय की "Back-bone" है। किसी व्यवस्था का मानव-शरीर में "Back-bone" की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह बताने की आवश्यकता नही है। जिस व्यवस्था की "Back-bone" ही टूट जाय, तो फिर उस व्यवस्था का खड़ा-जीवित रहना अथवा सुचारू ढंग से कार्य करना संभव नही। भारत में माध्यमिक शिक्षा की यही स्थिति है। यह सुचारू ढंग से कार्य नहीं कर रही है। शिक्षा के निजीकरण से इसका व्यापक प्रसार-प्रचार अवश्यक हुआ, तथापि इसकी गुणवत्ता अवश्य गिरी है। वर्तमान माध्यमिक शिक्षा-व्यवस्था में विद्यार्थी का मुख्य लक्ष्य किसी तरह से अच्छे नम्बरों से पास होना होता है और इसके लिए वह उचित-अनुचित सभी साधन अपनाता है। निजी माध्यमिक विद्यालय उसके इस लक्ष्य कि प्राप्ति में बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि यहाँ यह कार्य ठेके पर किया जाता है। ऐसे विद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थी परिवार समाज-देश के विकास में किसी प्रकार का योगदान ही नहीं करते, बस शिक्षित बेरोजगारी में वृद्धि करते हैं।

स्पष्ट है शिक्षा के निजीकरण से माध्यमिक शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे शिक्षा-व्यवस्था की यह रीढ़ हड्डी टूट चुकी है। इससे देश के महत्वपूर्ण भौतिक-मानवीय संसाधनों का सर्वनाश हो रहा है। समय रहते इस सर्वनाश को रोकने की जरूरत है। समय रहते इस सर्वनाश को रोकने की जरूरत है। इसमें परिवार-समाज-सरकार सभी को अपनी-अपनी भूमिका निभानी

है, सभी को अपनी दायित्व विमुखता छोड़नी होगी। आशा है, सभी अपनी-अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वाह करेंगे और एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जब शिक्षा-व्यवस्था की टूटी रीढ़-हड्डी (माध्यमिक शिक्षा) फिर से जुड़कर मजबूत-दृढ़ होगी।

भारत में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता उन्नति के लिए निम्नवत् सुझाव कारगर साबित हो सकते है-

1. माध्यमिक शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। उसके उद्देश्यों को सर्तकता के साथ निर्धारित करना चाहिए। उसके उद्देश्य ऐसे होने चाहिए, जिससे विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए तैयार हो सके और उनमें जीवन में प्रवेश करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो सके।
2. माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक-व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श की प्रभावशाली बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. माध्यमिक विद्यालयों में 'शिक्षक अभिभावक संघ' (PTA) का गठन कर उसे सक्रिय बनाया जाना चाहिए।
4. माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए प्रभावशाली प्रगतिशील वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ शिक्षणविधियों का प्रयोग करना चाहिए।
5. माध्यमिक स्तर की शिक्षा विद्यार्थियों की रूचि-आवश्यकता-क्षमता-योग्यता के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए।
6. निश्चित आर्थिक नीति बनाकर माध्यमिक विद्यालयों की आर्थिक समस्या का समाधान करना चाहिए।

7. माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को समयानुकूल उपयोगी-रूचिकर बनाया जाना चाहिए।

8. माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान दोषपूर्ण-प्रणाली में सुधार कर 'सतत् मूल्यांकन' पर बल दिया जाना चाहिए।

9. निजी माध्यमिक विद्यालयों की बढ़ती संख्या पर युक्तिपूर्ण बंधन लगाया जाना चाहिए। इनको मान्यता प्रदान करने की शर्ते अत्याधिक कड़ी की जानी चाहिए और इन पर सशक्त नियंत्रण रखा जाना चाहिए।

10. माध्यमिक शिक्षा में संगठन-पाठ्यक्रम-प्रबंध-प्रशासन की दृष्टि से पूरे देश में एकरूपता स्थापित की जानी चाहिए।

11. वर्ग-क्षेत्र की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की समानता स्थापित की जानी चाहिए।

12. माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाने के लिए निर्मित की गई योजनाएँ सक्रियता से लागू की जानी चाहिए।

13. माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक नियोजन को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

14. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की चयन प्रक्रिया .... पारदर्शी-प्रभावी बनानी चाहिए, जिससे योग्य-सक्षम-उत्तम विद्वान शिक्षकों का चयन हो सके।

15. माध्यमिक शिक्षा का, शिक्षा के अन्य दो स्तरों (प्राथमिक व उच्च) से प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

16. माध्यमिक विद्यालय-शिक्षकों की कार्यक्षमता में सुधार-उन्नयन के लिए उनके सतत् प्रशिक्षण-मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए।

17. सार्वजनिक शिक्षा-व्यवस्था के लिए 'सामान्य विद्यालय प्रणाली' लागू किया जाना चाहिए, जैसाकि 'कोठारी आयोग' (1964-66) ने सुझाव दिया था। इसी प्रणाली के अंतर्गत समस्त विद्यालयों के एक 'समान शैक्षिक स्तर' (Equal Educational Standard) निर्धारित किया जाना चाहिए। इस प्रणाली को सफल बनाने के लिए 'पड़ोसी स्कूल योजना' लागू की जानी चाहिए और समस्त विद्यालयों में शिक्षकों को एक-एक उत्तरदायित्व निभाने के लिए एक समान वेतन सुविधाएँ व सेवा-नियम होने चाहिए।

18. माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षाओं में नकल रोकने की प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए और दोषियों के लिए कड़े प्रावधान-दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।

19. माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मेहनत से अध्ययन करने के लिए हर प्रकार से प्रोत्साहन-सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

5.2 आगामी अध्ययन हेतु सुझावः-

किसी भी शोध-समस्या का रूप बहुत वृहद् होता है। उसके सम्पूर्ण पक्ष का सटीक-विस्तृत अध्ययन करना एक शोधकर्ता के सामर्थ्य की बात नहीं क्योंकि उसके पास समय-धन की एक सीमा होती है। अत: शोध-समस्या का कोई-न-कोई पक्ष अध्ययन से छूट ही जाता है। प्रस्तुत शोध-अध्ययन के भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू है, जो शोधकर्ता के अध्ययन से छूट गए है और जिन पर

भविष्यमें महत्वपूर्ण शोध-कार्य किया जा सकता है। ऐसे महत्वपूण्र पहलू निम्नवत् है-

1. फैजाबाद जनपद के 6 से अधिक सहायता-प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को लेकर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण के प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध-अध्ययन का विस्तार फैजाबाद मण्डल के अन्य जनपदों में किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन का विस्तार फैजाबाद मण्डल के अलावा अन्य मण्डलों में भी किया जा सकता है।
4. प्रस्तुत शोध-अध्ययन के प्रतिदर्श का आकार 180 से अधिक बढ़ाया जा सकता है।
5. प्रस्तुत शोध अध्ययन में छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का अलग-अलग अध्ययन किया जा सकता है।
6. प्रस्तुत शोध-अध्ययन में माध्यमिक स्तर के विविध विषयों की शैक्षिक उपलब्धि का अलग-अलग अध्ययन किया जा सकता है।
7. प्रस्तुत शोध-अध्ययन में प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या 50 से अधिक रखी जा सकती है, ताकि और अधिक सटीक परिणाम प्राप्त हो सके।
8. प्रस्तुत शोध-अध्ययन में अभिभावकों शिक्षकों और सरकार की अभिवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है।

9. प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनसंख्या-वृद्धि की भूमिका का अध्ययन किया जा सकता है।

10. प्रस्तुत शोध-अध्ययन में प्राथमिक शिक्षा की भूमिका का अध्ययन किया जा सकता है।

11. प्रस्तुत शोध अध्ययन लिंग-भेद, वर्ग के आधार पर दिया जा सकता है।

*****

संदर्भ-ग्रंथ सूची

1. लाल, प्रो0 रमन बिहारी - ''शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत,''
रस्तोगी पब्लिकेशंस, मेरठ-02
16 वाँ संस्करण: 2005-2006

2. माथुर, डॉ0 एस0एस0 - ''शिक्षा के दर्शनिक तथा सामाजिक आधार,''
विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा-02,
चतुर्थ संस्करण: 2006

3. पाण्डेय, डॉ0 रामशकल - ''शिक्षा-दर्शन,''
अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा-07,
11वाँ संस्करण- 2007-2008

4. यादव, डॉ0 प्रतिभा - ''उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक,''
साहित्य प्रकाशन, आगरा-03
प्रथम संस्करण: 2004

5. सक्सेना, एन0आर0 स्वरूप - ''शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत,''
आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ-01,
संस्करण: 2008

6. ओड़, डॉ0 एल0 के0 - ''शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सिद्धांत,
आर0लाल बुक डिपो, मेरठ-01,
संस्करण: 2008

7. लाल, प्रो0 रमन बिहारी - ''भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ,''
रस्तोगी पब्लिकेशंस, मेरठ-02,
प्रथम संस्करण (पुनमुद्रित): 2005-2006

8. त्यागी, गुरूसरन दास - ''भारत में शिक्ष का विकास'',
विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा- 02,
तृतीय पुनमुर्द्रित संस्करण: 2007

9. गुप्ता, प्रो0 एस0पी0 - ''भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ,''
शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद-02,
संस्करण: 2006

10. सारस्वत, डॉ0 मालती एवं गौतम, प्रो0 एस0एल0 - ''भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामायिक समस्या''
आलोक प्रकाशन, लखनऊ व इलाहाबाद
नवीनतम संस्करण

11. पाठक, पी0डी0 - ''भारतीय शिक्षा ओर उसकी समस्याएँ,''
अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा-07,
22 वाँ संस्करण, 2007-2008

12. सिंह, अरूण कुमार - ''मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध-विधियाँ,''
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली-07,
7वाँ संस्करण: 2006

13. शर्मा, डॉ0 आर0ए0 - ''शिक्षा अनुसंधान,''
आर0लाल0 बुक डिपो, मेरठ-01
संस्करण- 2007

14. कपिल, डॉ0 एच0के0 - ''अनुसंधान विधियाँ (व्यवहारपरक विज्ञानों में),''
एच0पी0भार्गव बुक हाउस, आगरा-04,
13वाँ संस्करण: 2007

15. सरीन, डॉ0 (श्रीमती) शशिकला एवं सरीन, डॉ0 अंजनी - शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ (सांख्यिकी सहित),
अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा-07,
तृतीय संस्करण: 2007-2008

16. गुप्ता, प्रो0 एस0 पी0 - सांख्यिकीय विधियाँ (व्यवहारपरक विज्ञानों में),
शादरा पुस्तक भवन, इलाहाबाद-02,
तृतीय संस्करण- 2007

17. गुप्त, रामबाबू एवं - ''शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन एवं स्वास्थ्य

शिक्षा,''
आलोक प्रकाशन, लखनऊ,
नवीनतम संस्करण,

18. बुच, एम.बी0 – ''शैक्षिक शोध का 5वाँ सर्वे (1988-92)''
वाल्यूम- 2,
एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली

19. झा, किरण एवं झा, अवशेध – ''निबंध-बोध''
स्पेकट्रम इण्डिया, नई दिल्ली-58,
5वाँ संस्करण: 1999,
पेज: 268-72, 316-20

20. दीक्षित, डॉ0 हृदय नारायण ''सामाजिक – राजनीतिक दर्शन के नए आयाम'', शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद।
प्रथम संस्करण: अगस्त, 1998

21. पाण्डेय, डॉ0 स्वयं प्रकाश पाण्डेय ''समाज दर्शन के मूल सिद्धांत'' अजय प्रकाशन, इलाहाबाद प्रथम संस्करण: 1996

22. सिंह, डॉ0 शिवभानु ''समाजदर्शन का परिचयन'' शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद-02 संस्करण:1998

23. जैन, डॉ0 अनिल ''भारत में प्रजातंत्र का उद्‌भव और विकास'', संवैधानिक लेख, प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर-2002, मैसर्स प्रतियागिता दपर्ण, आगरा-02 पृष्ठ संख्या-672-75, 691

24. झा, किरण एवं झा, अवधेश ''भारतीय राजनीतिक व्यवस्था'' स्पेक्ट्रम इण्डिया, नई दिल्ली-58
तृतीय संस्करण

*****

परिशिष्ट

1 शिक्षा का निजीकरण

2. शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण प्रश्नावली

3. शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण उत्तर-पत्रक

4. निरीक्षण अनुसूची

परिशिष्ट–01 शिक्षा का निजीकरण

भारत में शिक्षा के निजीकरण की आवश्यकता निम्नवत् कारणों से महसूस की गई है-

1. स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के विकास व विस्तार का भार राज्य पर बहुत बढ़ा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद-41 सरकार पर यह दायित्व डालता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार जनता के शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों को पुष्ट करे। इस उद्देश्य को ध्यान मे रखकर विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं का वित्तीयन करती है। परन्तु धीरे-धीरे इन संस्थाओं के वित्तीयन में अनेक प्रकार की कठिनाइयॉ पैदा हो गई है। अत: शिक्षा के निजीकरण से इस कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास किया गया है।
2. शिक्षा आयोग (1964-66) ने 1986 तक सकल राष्ट्रीय आय का 6% प्रतिवर्ष शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की थी। परन्तु आर्थिक संसधनों की किल्लत के कारण इस सिफारिश को अमल में नहीं लाया जा सकता है। सरकार शिक्षा पर व्यय किए जाने वाले बोझ को अधिक समय तक ढो पाने में स्वयं को असमर्थ महसूस करने लगी है। इसका निदान शिक्षा के निजीकरण के रूप में समझा जाने लगा है।
3. ज्ञान का विस्तार अत्याधिक तीव्रता से हो रहा है इसका संग्रह विकास-प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इससे शिक्षा अब स्वयं एक उत्पाद बन गई है और मानव संसाधन विकास के लिए यह अपरिहार्य है। ज्ञान-क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निजीक्षेत्र,

शिक्षा-क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण-सक्रिय भूमिका निभा सकते है। शिक्षा के निजीकरण के आवश्यकता महसूस की गई है।

4. तकनीकी क्रांति के बाद सुशिक्षित - प्रशिक्षित-पेशेवर मानव संसाधन की अवश्यकता अत्याधिक बढ़ गई है। इसकी आपूर्ति केवल सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षण संस्थाएँ नही कर सकती। इसलिए शिक्षा के निजीकरण को आवश्यक समझा गया है।

5. वर्षों से राज्य-प्रायोजित (State sponsored) शिक्षा ने शिक्षा-क्षेत्र को लगभग 'जनसेवा' (Public Service) के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसके प्रत्यक्ष लाभार्थी (विद्यार्थी) इसके महत्व को बहुत तरजीह नहीं देते। इससे उनकी व शिक्षा दोनो की गुणवत्ता गिरी है। यदि उन्हे शिक्षा प्रदान करने की पूरी या आंशिक कीमत शिक्षा-शुल्क के रूप में वसूल लिया जाए तो इससे उनकी शिक्षा दोनो की गुणवत्ता बढ़ेगी और वे शिक्षा के महत्व को समझ सकेंगे। अत: शिक्षा का निजीकरण एक अपरिहार्य आवश्यकता है।

वस्तु: शिक्षा विकास की अनिवार्य पूर्व-शर्त है और सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त है आर्थिक संसाधन नही है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का निजीकरण ही एक मात्र उपाय बचता है। स्पष्ट है, शिक्षा-क्षेत्र में निजीकरण को एक समाजोपयोगी प्रक्रिया के रूप में शुरू कियागया है। और इससे शिक्षा को मूल्य-प्रभावी बनाने की आशा की गई है।

परन्तु यह निर्विवाद व कटु सत्य है कि शिक्षा-क्षेत्र में निजीकरण एक समाज-विरोधी प्रक्रिया बनकर रह गई है। जिस प्रकार सार्वजनिक

शिक्षण संस्थाएँ शिक्षा की सारी समस्याएँ हल नहीं कर सकती उसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थाएँ भी यह कार्य अकेले नहीं कर सकती। लालफीताशाही-भ्रष्टाचार-सरकारी अपेक्षा के कारण ऐसी शिक्षण संस्थाएँ लाभ कमाने की दुकाने भर बनकर रह गई है। और इन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को अत्यधिक गिरा दी है। उपरोक्त भौतिक-मानवीय संसाधनों के बावजूद ऐसी शिक्षण संस्थाएँ भेंटपूजा के कारण धड़ल्ले से मान्यता प्राप्त करती जा रही है और देश के महत्वपूर्ण भौतिक-मानवीय संसाधनों का सर्वनाश कर शिक्षा की गुणवत्ता गिराती जा रही है। ऐसी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करना निर्धन विद्यार्थियों के बूते की बात नही।

स्पष्ट है भारत में शिक्षा के निजीकरण के परिणाम बहुत अधिक संतोषजनक नही हैं। परन्तु दोष इस प्रक्रिया का नही है। सारा, दोष इसके क्रियान्वयन में है। इसके क्रियान्वयन में युक्तियुक्त सरकारी हस्तक्षेप अपेक्षित है। इससे निर्धन विद्यार्थियों के हित का संरक्षण किया जा सकेगा, शिक्षा के पूर्णतः व्यवसायीकरण को रोका जा सकेगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी बनाये रखी जा सकेगा। इस प्रकार शिक्षा के निजीकरण से वर्तमान संदर्भ में, यदि हटना संभव नही और न ही इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि शिक्षाक्षेत्र में निजीकरण प्रक्रिया को यथोचित ढ़ग से सरकारी निगरानी में लागू किया जाय।

संदर्भ - निंबध बोध, स्पेक्ट्रम इण्डिया, नई दिल्ली - 58, 5 वॉ संस्करण: 1999, पेज - 268272।

उनकी व शिक्षा दोनों की गुणवत्ता बढ़ेगी और वे शिक्षा को समझ सकेगें। अतः शिक्षा का निजीकरण एक अपरिहार्य आवश्यकता है।

वस्तुतः शिक्षा विकास की अनिवार्य पूर्व-शर्त है और सरकार के पास इसके लिये पर्याप्त आर्थिक संसाधन नही है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का निजीकरण ही एक मात्र उपाय बचता है। स्पष्ट है, शिक्षा-क्षेत्र में निजीकरण की एक समाजोपयोगी प्रक्रिया के रूप में शुरू किया गया है इससे शिक्षा को मूल्य-प्रभावी बनाने की आशा की गई है।

परन्तु यह निर्विवाद व कटु सत्य है कि शिक्षा-क्षेत्र में निजीकरण एक समाज-विरोधी प्रक्रिया बनकर रह गई है। जिस प्रकार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएँ शिक्षा की सारी समस्याएँ हल नही कर सकतीं उसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थाएँ भी यह कार्य अकेले नही कर सकती। लालफीताशाही संस्थाएँ भी यह कार्य नही कर सकतीं। निजी शिक्षण संस्थाएँ भी यह कार्य अकेले नही कर सकती। लाभ कमाने की दुकानें भी बनकर रह गयी है। और इन्होनें शिक्षा संसाधनों के बावजूद ऐसी शिक्षण संस्थाए भेट पूजा के कारण धड़ल्ले से मानयता प्राप्त करती जा रही है और देश के महत्वपूर्ण भौतिक-मानवीय संसाधनों का सर्वनाश कर शिखर की गुणवत्ता गिरती जा रही है। और देश के महत्वपूर्ण भौतिक-मानवीय संसाधनों का सर्वनाश कर शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है। ऐसी संस्थाओ में शिक्षा प्राप्त करना निर्धन विद्यार्थियों के बूते की बात नही।

स्पष्ट है कि भारत में शिक्षा के निजीकरण के परिणाम बहुत अधिक संतोषजनक नही है। परन्तु श्रेय इस प्रक्रिया का नही है। सारा दोष, इसके क्रियान्वयन में है। इसके क्रियान्वयन में युक्तियुक्त सरकारी हस्तक्षेप, अपेक्षित है। इससे निर्धन विद्यार्थियो के हित का संरक्षण किया जा सकेगा, शिक्षा के पूर्णतः व्यवसायीकरण को रोका जा सकेगा और शिक्षा पूर्णतः व्यवसायीकरण को रोका

जा सकेगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी बनाये रखी जा सकेगा। इस प्रकार, शिक्षा के निजीकरण से वर्तमान संदर्भ में, पीछे हटना संभव नही और न ही इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि शिक्षा क्षेत्र में निजीकरण प्रक्रिया को यथोचित ढंग से सरकारी निगरानी मे लागू किया जाय।

संदर्भ - निबंध-बोध, स्पेक्ट्रम इण्डिया, नई दिल्ली, - 58 54 वॉ संस्करणः 1999, पेज 268232

सामान्य निर्देश

1. प्रश्नावली में कुल 50 प्रश्न है।
2. सभी प्रश्नो को हल करने का अधिकतम समय तक घंटा है।
3. प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प है - क, ख, ग, घ। इनमें से एक विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। सही विकल्प का चयन कर काले या नीले पेन से सही का चिन्ह (✓) लगाएँ।
4. प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक प्रदान किया जायेगा। गलत उत्तर के लिये कोई अंक नही काटा जायेगा।
5. एक से अधिक विकल्प पर सही का चिन्ह लगाने पर उत्तर गलत माना जायेगा।
6. परीक्षण-प्रश्नावली पर किसी प्रकार का चिन्ह न लगाएँ और न ही गंदा करें।
7. परीक्षण के दौरान अंवाछित तरीकों (बात-चीत करना, नकल करना आदि) का इस्तेमाल नही करना।
8. परीक्षण समाप्त होने पर परीक्षण -प्रश्नावली और उत्तर पत्रक दोनो परीक्षणकर्ता को वापस कर दें।

शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण प्रश्नावली

कुल अंक-50 कुल समय-1 घंटा

1. इनमे से सर्वनाम है-

   क यह ख दिल्ली ग अच्छा घ राम।

2. इन शब्दों में से विशेषण है

   क यहाँ ख खना ग गँवार घ सीता।

3 प्रतिदिन शब्द में कौन - सा समास है?

   क तत्पुरूष ख अव्ययीभाव ग कर्मधारय घ इनमें से कोई नही।

4 कर्ताकारक का चिन्ह (विभक्ति) है-

   क को ख में ग से घ ने।

5 'दही' शब्द है-

   क स्त्रीलिंग ख पुलिंग ग उभयलिंग घ इनमें से कोई नही।

6 इनमें से सही शब्द का चयन करें -

   क आर्सिवाद ख आर्शीवाद ग आशीर्वाद घ आसीर्वाद।

7. 'अग्नि' का पर्यावाची है

   क अनल ख अनिल ग अनील घ वारि।

8. 'अनावृष्टि' का आर्थ है-

   क वृष्टि की अधिकता ख दृष्टि का अभाव ग अकाल घ बाढ़

9. अंग्रेजी मे 'स्वर' (Vowels) होता है

   क 5 ख 6 ग 7 घ 8

10. 'यूनिवर्सिट' (University)के पहले कौन सा आर्टिकल (Article) लगेगा

क A　　ख An　　ग The　　घ इनमे से कोई नही

11. Good का विलोम है-

क Better　　ख Best　　ग Bad　　घ इनमे से कोई नही

12. इनमें से Noun का चयन कीजिए-

क. This　　ख.That　　ग. He　　घ. Ram

13. 'झूठ' का विलोमहै-

क. सत्य　　ख. सच्चा　　ग. सत्　　घ. सच

14. 'रामायण' शब्द में संधि है-

क. व्यंजन　　ख. विसर्ग　　ग. स्वर　　घ. इनमें से कोई नहीं

15. इनमें से 'Pronound का चयन कीजिए-

क. Good　　ख. Bad　　ग. Sita　　घ. She

16. इनमें से 'Verb' का चयन कीजिए-

क. Run　　ख. Best　　ग.Yamuna　　घ. We.

17. किसी त्रिभुज में कोणों का योगफल होता है-

क. 3　　ख. 4　　ग. 5　　घ. 6

18. किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल होता है-

क. 90^0　　ख. 180^0　　ग. 270^0　　घ. 360^0

19. वर्ग का प्रत्येक कोण होता है-

क. 45^0　　ख. 55^0　　ग. 65^0　　घ. 90^0

20. 'समबाहु त्रिभुज' की तीनों भुजाएँ होती है-

क. समान　　ख. असमान　　ग. समानान्तर　　घ.असमान और समानान्तर

21. 'एक किग्रा' में होते है-

क. 1000 ग्राम　　ख. 100 ग्राम　　ग. 750 ग्राम　　घ. 10000 ग्राम।

22. '1/2' इसके बराबर होता है

क. 0.5 ख. 0.05 ग. 0.005 घ. 0.0005।

23. 8 का वर्गमूल होता है-

क. $2\sqrt{2}$ ख. $3\sqrt{2}$ ग. $4\sqrt{2}$ घ. $5\sqrt{2}$

24. इनमें से 'व्युत्पन्न राशि' है-

क. क्षेत्रफल ख. आयतन ग. घनत्व घ. लम्बाई

25. इनमें से 'व्युत्पन्न राशि' है-

क. लम्बाई ख. समय ग. द्रव्यमान घ. वेग।

26. 'मात्रक पद्धतियाँ' कितनी है

क. 3 ख. 4 ग. 5 घ. 2

27. 'MKSपद्धति' में द्रव्यमान का मात्रक है-

क. ग्राम ख. पौंड ग. किग्रा. घ. इनमें से कोई नहीं।

28. पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएँ होती है-

क. 2 ख. 3 ग. 5 घ. 6

29. पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के परमाणु होते है-

क. 1 ख. 2 ग. 3 घ. 4

30. कोयला में होता है-

क. कार्बन ख. जिंक ग. फॉस्फोरस घ. ताबाँ।

31. प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया में कौन-सी गैस निकलती है?

क. ऑक्सीजन ख. कार्बन-डाई आक्साइड ग. मीथेन घ. हॉइड्रोजन

32. मानव श्वसन-क्रिया में कौन-सी गैस शरीर से बाहर निकालता है?

क. ऑक्सीजन ख. हाइड्रोजन ग. नाइट्रोजन घ. मीथेन।

33. मानव-रक्त को कुल कितने वर्गो में बाँटा गया है?

क. 3 ख. 4 ग. 5 घ. 6

34. 'सर्वग्राही रक्त-वर्ग' कहा जाता है-

क. A   ख. B   ग. AB   घ. O

35. मानव द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर है-

क. गाय   ख. भैंस   ग. बिल्ली   घ. कुत्ता

36. बौद्ध धर्म के प्रतिपादक है-

क. महाबीर   ख. शंकराचार्य   ग. माध्वाचार्य   घ. महात्मा बुद्ध

37. सम्राट अशोक किस वंश का शासन था?

क. हर्यक वंश   ख. कुषाण वंश   ग. शक वंश   घ. मौर्य वंश

38. रामायण के रचयिता है-

क. गोस्वामी तुलसीदास   ख. महर्षि वाल्मीकि   ग. वेदव्यास   घ. नचिकेता

39. गांड ट्रंक रोड (जी.टी.रोड) का निर्माण करवाया था।

क. शेरशाह सूरी ने   ख. हुमायूँ ने   ग. अकबार ने   घ. शाहजहाँ ने।

40. इनमें से कौन मुगल शासन अपनी उदारता व सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था?

क. शाहजहाँ   ख. हुमायूँ   ग. जहाँगीर   घ. अकबर।

41. भारत की स्वतन्त्रता का पहला संग्राम छिड़ा था-

क. 1757 ई0 में   ख. 1847 ई0 में   ग. 1857 ई0 में   घ. अकबर।

42. सम्पूर्ण धरती को कितने गोलार्द्धों में बाँटा गया है?

क. 2   ख. 3   ग. 4   घ. 5

43. भारत पृथ्वी के कौन-से गोलार्द्ध में स्थित है?

क. उत्तरी   ख. दक्षिणी   ग. पूर्वी   घ. पश्चिमी

44. भारत किस महाद्वीप में स्थित है?

क. एशिया   ख. अफ्रीका   ग. यूरोप   घ. आस्ट्रेलिया

45. विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप है-

क. एशिया   ख. उत्तरी अमेरिका   ग. अंटार्कटिका   घ. अफ्रीका।

46. विश्व का सबसे बड़ा महासागर है-

क. प्रशान्त   ख. अटलांटिक   ग. हिन्द महासागर   घ. अरब सागर।

47. भारत में राज्यों की संख्या है-

क. 25   ख. 26   ग. 27   घ. 28

48. उत्तर प्रदेश की राजधानी है-

क. इलाहाबाद   ख. वाराणसी   ग. कानपुर   घ. लखनऊ।

49. विश्व की सबसे बड़ी चोटी है-

क. एवरेस्ट   ख. गुरूशिखर   ग. नीलगिरि   घ. कंचनजंघा।

50. भारत की सबसे लम्बी नदी है-

क. नर्मदा   ख. ताप्ती   ग. सोन   घ. गंगा।

परिशिष्ट–04

शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण

उत्तर-पत्रक

छात्र/छात्रा का नाम...

कक्षा ....वर्ग.............................

अनुक्रमांक ....दिनांक.........................

उम्र ....जनपद.........................

जाति ....लिंग.............................

विद्यालय का नाम ....

....

1.	क.	ख.	ग.	घ.	26.	क.	ख.	ग.	घ.
2.	क.	ख.	ग.	घ.	27.	क.	ख.	ग.	घ.
3.	क.	ख.	ग.	घ.	28.	क.	ख.	ग.	घ.
4.	क.	ख.	ग.	घ.	29.	क.	ख.	ग.	घ.
5.	क.	ख.	ग.	घ.	30.	क.	ख.	ग.	घ.
6.	क.	ख.	ग.	घ.	31.	क.	ख.	ग.	घ.
7.	क.	ख.	ग.	घ.	32.	क.	ख.	ग.	घ.
8.	क.	ख.	ग.	घ.	33.	क.	ख.	ग.	घ.
9.	क.	ख.	ग.	घ.	34.	क.	ख.	ग.	घ.
10.	क.	ख.	ग.	घ.	35.	क.	ख.	ग.	घ.
11.	क.	ख.	ग.	घ.	36.	क.	ख.	ग.	घ.
12.	क.	ख.	ग.	घ.	37.	क.	ख.	ग.	घ.
13.	क.	ख.	ग.	घ.	38.	क.	ख.	ग.	घ.
14.	क.	ख.	ग.	घ.	39.	क.	ख.	ग.	घ.
15.	क.	ख.	ग.	घ.	40.	क.	ख.	ग.	घ.
16.	क.	ख.	ग.	घ.	41.	क.	ख.	ग.	घ.
17.	क.	ख.	ग.	घ.	42.	क.	ख.	ग.	घ.
18.	क.	ख.	ग.	घ.	43.	क.	ख.	ग.	घ.
19.	क.	ख.	ग.	घ.	44.	क.	ख.	ग.	घ.
20.	क.	ख.	ग.	घ.	45.	क.	ख.	ग.	घ.
21.	क.	ख.	ग.	घ.	46.	क.	ख.	ग.	घ.
22.	क.	ख.	ग.	घ.	47.	क.	ख.	ग.	घ.
23.	क.	ख.	ग.	घ.	48	क.	ख.	ग.	घ.
24.	क.	ख.	ग.	घ.	49.	क.	ख.	ग.	घ.
25.	क.	ख.	ग.	घ.	50.	क.	ख.	ग.	घ.

परिशिष्ट–05

निरीक्षण अनुसूची (Observation Schedule)

1. विद्यालय में कमरों की संख्या है–

क. 01–05 ख.06–10 ग. 11–15 घ. 15 से अधिक

2. विद्यालय में प्रशिक्षित(Trained) अध्यापक है–

क. 1–5 ख. 6–10 ग. 11–15 घ. 15 से अधिक

3. विद्यालय में कुल अध्यापक संख्या है–

क. 1–8 ख. 9–13 ग. 14–18 घ. 18 से अधिक

4. विद्यालय में शिक्षणेत्तर कर्मचारी (Non-teaching staff) है–

क. 4–6 ख. 7–9 ग. 10–12 घ. 12 से अधिक

5. विद्यालय में कितने खेलों(Sports) की व्यवस्था है?

क. 1 ख. 2 ग. 3 घ. 3 से अधिक

6. विद्यालय की कितनी कक्षाओं में ब्लैकबोर्ड की सुविधा है?

क. 1–5 में ख. 6–10 में ग. 11–15 में घ. 15 से अधिक में

7. विद्यालय की कितनी कक्षाओं फर्नीचर (कुर्सी, मेज, बेंच) की पर्याप्त व्यवस्था है?

क. 1–5 ख. 6–10 ग. 11–15 घ. 15 से अधिक में

8. विद्यालय में कितने 'राष्ट्रीय पर्वों' (जैसे–26 जनवरी, 15 अगस्त आदि) को मनाया जाता है?

क. 3 ख. 4 ग. 5 घ. 5 से अधिक

9. विद्यालय में प्रतिवर्ष कितने 'सांस्कृतिक कार्यक्रमों' (Cultural Programmes) का आयोजन होता है?

क. 2 ख. 3 ग. 4 घ. 4 से अधिक

10 विद्यालय में 'शिक्षक अभिभावक संघ' का गठन-

क. किया गया है　　　　ख. नही किया गया है

11. विद्यालय में 'शिक्षक अभिभावक संघ' की प्रतिवर्ष कितनी बैठकें आयोजित की जाती हैं?

क. 2　　　　ख. 3　　　　ग. प्रतिमाह　　　　घ. एक भी नही

12. विद्यालय में 'शैक्षिक-व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श' की-

क. व्यवस्था है　　　　ख. नही है

13. विद्यालय में 'शैक्षिक पर्यटन' (Educational Tour) की-

क. व्यवस्था है　　　　ख. नही है

14. विद्यालय में 'स्काउट व गाइड' का प्रशिक्षण-

क. दिया जाता है　　　　ख. नहीं दिया जाता है

15. विद्यालय में 'राष्ट्रीय सेवा योजना'(NSS) का आयोजन-

क. किया जाता है　　　　ख. नहीं किया जाता है

16. विद्यालय में नेशनल कैडेट कॉर्प्स(NCC) का प्रशिक्षण-

क. दिया जाता है　　　　ख. नहीं दिया जाता है

17. विद्यालय में शौचालय (Toilet) की व्यवस्था है-

क. है　　　　ख. नहीं है

18. विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्वस्था-

क. है　　　　ख. नहीं है

19. विद्यालय का अपना खेल मैदान (Play ground)-

क. है　　　　ख. नहीं है

20. विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार-

क. दिया जाता है　　　　ख. नहीं दिया जाता है

21. विद्यालय में लाइब्रेरी की व्यवस्था-

क. है　　　　　　　　　　ख. नही है

22. विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति-

क. दी जाती है　　　　　　ख. नही दी जाती है

23. विद्यालय के आर्थिक स्रोत क्या है?

क. सरकारी अनुदान　　　ख. गैर-सरकारी अनुदान　ग. छात्रो की फीस

24. विद्यालय के अध्यापकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमित वेतन-

क. मिलता है　　　　　　ख. नही मिलता है

25. विद्यालय में विशिष्ट विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था-

क. है　　　　　　　　　　ख. नहीं है

26. विद्यालय में शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति-

क. नियमित है　　　　　　ख. अनियमित है

27. विद्यालय में 'चिकित्सकीय निर्देशन व परामर्श' की व्यवस्था-

क. है　　　　　　　　　　ख. नहीं है

28. विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित-

क. किया जाता है　　　　ख. नहीं किया जाता है

29. विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या है-

क. 500　　　ख. 501 से 1500　ग. 1501 से 2500　घ. 2501 से 3500

30. विद्यालय में प्रयोगशाला(Laboratory) और उसमें सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था-

क. है　　　　　ख. नहीं है

31. विद्यालय की प्रयोगशाला(Laboratory) में सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्ध

क. है　　　　　ख. नहीं है

*****